## **GOVERNMENT OF INDIA**



## असाधारण EXTRAORDINARY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 696 No. 248] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSHA 7, 1940 [N.C.T.D. No. 696

> भाग—IV PART—IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## समाज कल्याण विभाग

# अधिसूचना

दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2018

सं. फा. 82/1153/आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016/एडी—III/डीएसडब्ल्यू/2017/33121.—जबकि दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित दिल्ली विकलांगजन अधिकार अधिनियम, 2018 दिनांक 15 मई, 2018 को दिल्ली राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुआ था जिसमें इस नियमावली से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से इस अधिसूचना वाले शासकीय राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध होने की तिथि से 30 दिन की अविध समाप्ति से पहले आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबिक शासकीय राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी जनता को 22 मई, 2018 को उपलब्ध कराई गई;

और जबिक उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपित्तियों और सुझावों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विचार किया गया;

अब इसलिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 3870 (अ) के साथ पिठत विकलांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदृद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

7626 DG /2018 (1)

### अध्याय- I

# प्रारंभिक

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ** (1) इन नियमों को दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पिरभाषाएं : (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
- (क) ''अधिनियम'' का अर्थ होगा, दिल्ली विकलांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49);
- (ख) ''प्रमाण पत्र'' का अर्थ होगा, अधिनियम की धारा 57 की उप–धारा(1) में वर्णित प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्रः
- (ग) "पंजीकरण प्रमाण पत्र" का अर्थ होगा, अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र;
- (घ) "प्रपत्र" का अर्थ है, इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र; और
- (ङ) ''धारा'' का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा।
- (2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उनके लिए नियत किया गया है।

## अध्याय–II

## अधिकार और पात्रताएं

- 3. प्रतिष्ठान विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा— (1) प्रतिष्ठान का प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 3 की उप—धारा (3) के प्रावधान का इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट की गई विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्तियों को अधिकार या लाभ प्राप्त होने से वंचित करने में न दुरुपयोग किया जाए।
- (2) यदि किसी सरकारी प्रतिष्ठान अथवा 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले निजी प्रतिष्ठान के प्रमुख को विकलांगता के आधार पर भेदभाव के बारे में किसी पीड़ित व्यक्ति से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो वह —
- (क) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ करेगा; अथवा
- (ख) पीड़ित व्यक्ति को लिखित में सूचित करेगा कि विवादित कार्य या चूक किसी वैध लक्ष्य को हासिल करने के साधन के रूप में कितनी यथोचित है।
- (3) यदि पीड़ित व्यक्ति विकलांगजन से सम्बद्ध राज्य आयुक्त से कोई शिकायत करता है, तो शिकायत का निपटान 30 दिन के भीतर किया जाएगा :
  - उपबंध है कि शिकायत की विषयवस्तु की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए विषेश मामलों में शिकायत का निपटान 30 दिन की अवधि से पहले भी राज्य आयुक्त के निर्णय के अनुसार किया जाएगा।
- (4) कोई प्रतिष्ठान किसी विकलांग व्यक्ति को युक्तियुक्त आवासन के लिए किए गए खर्च का आंशिक अथवा पूर्ण भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- **4. विकलांगता संबंधी अनुसंधान के लिए राज्य समिति** (1) राज्य स्तर पर विकलांगता संबंधी अनुसंधान समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :
- (क) विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाला कोई वरिष्ठ व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा पदेन नामित किया जाएगा — अध्यक्ष.
- (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का निदेशक -सदस्य;
- (ग) दिल्ली मेडिकल काउंसिल का प्रतिनिधि, प्राथमिकता चिकित्सक जो विकलांग हो— सदस्य;
- (घ) किसी पंजीकृत राज्य स्तरीय संगठन से 5 सदस्य, जो अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट 5 विकलांगता समूहों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा — सदस्य;
  - परंतु, पंजीकृत संगठनों के प्रतिनिधियों में से कम से कम एक महिला होना अनिवार्य होगा; और
- (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत विकलांगता के क्षेत्र में स्वायत्त संस्थान से प्रतिनिधि– सदस्य;
- (ज) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग का निदेशक -सदस्य सचिव;
- (2) अध्यक्ष विकलांगता विषयक ऐसे मामलों में जहां जाँच प्रस्तावित की गई है किसी विशेषज्ञ को भी शामिल कर सकता है।

- (3) मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा, परंतु, मनोनीत सदस्य एक से अधिक बार मनोनीत किए जाने के पात्र होंगे।
- (4) बैठक के लिए आधे सदस्यों की उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।
- (5) गैर–सरकारी सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते के लिए पात्र होंगे, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समूह 'क' या समकक्ष अधिकारी के लिए स्वीकार्य भत्तों के अनुरूप होंगे।
- (6) समिति को ऐसा लिपिकीय और अन्य स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उचित समझेगी।
- 5. विकलांग व्यक्ति को अनुसंधान का विषय नहीं बनाया जाएगा— किसी विकलांग व्यक्ति को, तब के सिवाय जबिक सम्बद्ध अनुसंधान का उसके शरीर पर भौतिक प्रभाव पड़ने जा रहा हो, अनुसंधान का विषय नहीं समझा जाएगा।
- 6. **कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया** अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत शिकायतों से निपटने के प्रयोजनों के लिए, कार्यकारी मजिस्ट्रेट अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धाराओं 133 से 143 में प्रदत्त प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

# अध्याय - III

# सीमित संरक्षता

- 7. सीमित संरक्षता (1) कोई जिला अदालत स्वयं अपनी ओर से या किसी विकलांगजन द्वारा आवेदन पर या किसी सगे संबंधी द्वारा या विकलांगजन के लिए सरकारी संगठन या ऐसे पंजीकृत संगठन के द्वारा जिसके संरक्षण में विकलांगजन निवास कर रहा है, आवेदन दायर किए जाने पर संबंधित विकलांग व्यक्ति के परामर्श से उसकी ओर से कानूनन बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए सीमित संरक्षकता मंजूर करेगा।
- (2) जिला अदालत या विकलांगजन के लिए सीमित संरक्षकता प्रदान करने से पहले स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगा कि विकलांगजन स्वयं के लिए कानूनी रूप में अनिवार्य निर्णय करने की स्थिति में नहीं है।
- (3) जिला अदालत विकलांगजन की विधिक क्षमता के निर्धारण हेतु सुनवाई करेगी, इस सुनवाई के दौरान विकलांगजन उपस्थित रहेगा, यदि अपेक्षित होगा अदालत विकलांगजन की विधिक क्षमता के निर्धारण हेतु विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकता है।
- (4) उप—नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त सीमित संरक्षकता की वैधता अविध प्रारंभ में तीन वर्ष के लिए होगी, जिसे जिला अदालत द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसी भी स्थिति हो :
  - परंतु, जिला अदालत सीमित संरक्षकता की वैधता बढ़ाते समय उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगी, जो प्रारंभ में संरक्षकता प्रदान करने के लिए अपनाई गई थी।
- (5) जिला अदालत सीमित संरक्षकता प्रदान करने के आवदेन प्राप्ति की तारीख से या सीमित संरक्षकता की आवश्यकता की सूचना प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर निर्णय लेगी : बशर्ते कि सीमित संरक्षण के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की सहमति भी संरक्षण प्रदान करने से पहले प्राप्त की जाएगी।
  - उपबंध है कि जिला अदालत सीमित संरक्षकता की वैधता प्रदान करते समय उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगी जो प्रारंभिक संरक्षकता प्रदान करते समय की जाती है।
- (6) उक्त सीमित संरक्षकता मंजूर करते समय अदालत निम्नांकित वरीयता क्रम में सीमित संरक्षक नियुक्त करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति पर विचार करेगी :-
  - (क) विकलांग व्यक्ति के माता पिता या वयस्क बच्चे;
  - (ख) सगा भाई या बहन; और
  - (ग) अन्य सगा संबंधी अथवा देखभाल करने वाला समुदाय का प्रमुख व्यक्ति।
  - (घ) किसी मामले में यदि विकलांगजन के परिवार की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है तो इसके लिए सरकारी संगठन का अधीक्षक या विकलांजन को आश्रय प्रदान करने वाले पंजीकृत संगठन के प्रभारी पर विचार किया जाएगा।
- (7) केवल ऐसे व्यक्ति को सीमित संरक्षक नियुक्त किया जाएगा, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जिसे पूर्व में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) में परिभाषित किसी संज्ञेय अपराध का दोषी न ठहराया गया हो।
- (8) उप–नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त सीमित संरक्षक विकलांगजन की ओर से कानूनी रूप में बाध्य कोई भी निर्णय करने से पहले सभी मामलों में सम्बद्ध विकलांगजन के साथ सलाह मशविरा करेगा।
- (9) नियुक्त सीमित संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि विकलांगजन की ओर से किए गए कानूनी रूप में बाध्य निर्णय उक्त विकलांग व्यक्ति के हित में होने चाहिए।

- 8. अपील प्राधिकारी नियम ७ के उपनियम (1) के अंतर्गत सीमित संरक्षक की नियुक्ति संबंधी जिला अदालत के किसी भी निर्णय के खिलाफ अपील के लिए अपील प्राधिकारी उच्च न्यायालय होगा।
- 9. निर्दिष्ट प्राधिकरण अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपायुक्त, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निर्दिष्ट प्राधिकरण होगा, जो विकलांगजनों को उनके कानूनी अधिकारों को हासिल करने में सहायता करने के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करने के उपाय करेगा।

# अध्याय - IV

### शिक्षा

- 10. **नोडल अधिकारी की नियुक्ति.** एक नोडल अधिकारी को शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा कार्यालयों, स्थानीय निकायों के प्रत्येक जोन तथा समाज कल्याण विभाग में इस नियमावली की अधिसूचना से तीन माह के भीतर दिव्यांग बच्चों के संबंधी सभी मामलों तथा अधिनियम की धारा 16 तथा 31 के प्रावधानों के अनुसार उनको स्कूलों में प्रदान की जाने वाली स्विधाओं पर कार्यवाही करने के लिए अभिनामित किया जायेगा।
- 11. **शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने की शर्ते.—** (1) राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने की शर्तों में अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुपालन की अपेक्षाओं को भी शामिल किया जा सकेगा।
- (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नियमावली की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले विशेष स्कूलों को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम तैयार करेगी।
- (3) राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली सरकार नियमावली के अधिसूचना के जारी होने के एक वर्ष के भीतर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगी तथा आधार भूत ब्रेल, संकेत भाषा एवं विशेष शिक्षा में अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कदम उठाएगी।
- (4) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली सरकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम तथा अध्ययन सामग्री जिसके अंतर्गत ब्रेल, दृश्य तथा श्रव्य स्वरूप सामग्री शामिल हो इस नियमावली की अधिसूचना के जारी करने के छह माह के भीतर तैयार करने के लिए कदम उठाएगी।

## अध्याय - V

# बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए रोजगार और रिक्तियां

- **12. समान अवसर नीति के प्रकाशन का तरीका** (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान विकलांगजनों के लिए समान अवसर नीति प्रकाशित करेगा।
- (2) प्रतिष्ठान समान अवसर नीति को प्रदर्शित करेगा, जिसमें वेबसाइट पर प्रदर्शन को वरीयता दी जाएगी, अन्यथा अपने परिसरों के भीतर स्पष्ट नजर आने वाले स्थानों पर उसे प्रदर्शित करेगा।
- (3) 20 या अधिक कर्मचारियों वाले किसी निजी प्रतिष्ठान और सरकारी प्रतिष्ठानों की समान अवसर नीति में अन्य बातों के अलावा निम्नांकित को शामिल किया जाएगा, अर्थात
- (क) विकलांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और लाभ ताकि वे प्रतिष्ठान में अपने कर्तव्यों का कारगर ढंग से निर्वाह कर सके;
- (ख) प्रतिष्ठान में विकलांगजनों के लिए उपयुक्त के रूप में पहचान किए गए पदों की सूची।
- (ग) विकलांगजनों के लिए विभिन्न पदों के चयन का तरीका, भर्ती परवर्ती और पदोन्नति—पूर्व प्रशिक्षण, स्थानांतरण और नियुक्ति में वरीयता, विशेष अवकाश, आवास सुविधा, यदि कोई हो, के आवंटन में प्राथमिकता, और अन्य सुविधाएं;
- (घ) सहायक उपकरणों के लिए प्रावधान, बाधामुक्त पहुंच और विकलांगजनों से संबंधित अन्य प्रावधान;
- (ङ) प्रतिष्ठान द्वारा संपर्क अधिकारी की नियुक्ति, जो विकलांगजनों की भर्ती और ऐसे कर्मचारियों के लिए सुविधाओं एवं लाभों के प्रावधानों की देखरेख करे।
- (4) 20 से कम कर्मचारियों वाले निजी प्रतिष्ठान की समान अवसर नीति में विकलांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं एवं लाभ शामिल किए जाएंगे, ताकि वे प्रतिष्ठान में अपने कर्तव्यों का कारगर ढंग से निर्वहन कर सकें।
- 13. प्रतिष्ठानों द्वारा रिकॉर्ड रखने का स्वरूप और तरीका (1) नियम 12 के उपनियम (3) के अंतर्गत कवर होने वाला प्रत्येक प्रतिष्ठान निम्नांकित ब्यौरों का रिकॉर्ड रखेगा, अर्थात्—
- (क) नियोजित विकलांगजनों की संख्या और तारीख, जिससे वे नियोजित हैं;
- (ख) विकलांगजनों का नाम, लिंग और पता;

- (ग) ऐसे व्यक्तियों की विकलांगता का स्वरूप;
- (घ) नियोजित विकलांग व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्य का स्वरूप; और
- (ङ) ऐसे विकलांगजनों को प्रदान की जाने वाली स्विधाओं का प्रकार।
- (2) प्रत्येक प्रतिष्ठान इन नियमों के अंतर्गत रखे गए रिकार्डों की जिला स्तरीय विकलांगता समिति द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण की व्यवस्था करेगा और वह सभी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो यह जानने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित होगी कि इन प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।
- **14. सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा शिकायत रजिस्टर के रख—रखाव का तरीका** (1) प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान कम से कम राजपत्रित रैंक के एक अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करेगा :
  - परंतु, जहां कहीं, राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करना संभव न हो, सरकारी प्रतिष्ठान सबसे वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।
- (2) शिकायत निवारण अधिकारी विकलांगजनों की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नांकित ब्यौरा शामिल होगा, अर्थात
- (क) शिकायत की तारीख;
- (ख) शिकायतकर्ता का नाम;
- (ग) शिकायत की जांच करने वाले अधिकारी का नाम;
- (घ) घटना का स्थान;
- (ङ) उस व्यक्ति का नाम, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है;
- (च) शिकायत का सार;
- (छ) दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो;
- (ज) शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निपटारा किए जाने की तारीख;
- (झ) जिला स्तरीय समिति द्वारा अपील के निपटान का ब्यौरा; और
- (ञ) कोई अन्य जानकारी
- 15. **रिक्तियों की गणना** (1) प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में रिक्तियों की गणना के प्रयोजन हेतु पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या में पहचान किए गए और पहचान न किए गए पदों में खाली होने वाले पदों सहित कुल रिक्तियों की संख्या के 4 प्रतिशत पद बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए गणना में लिए जाएंगे।
  - परंतु, पदोन्नतियों में आरक्षण समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार दिया जाएगा।
- (2) प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान समुचित सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कुल संवर्ग संख्या में बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध विकलांगजनों के लिए रिक्तियों की गणना के प्रयोजन के लिए एक रिक्ति आधारित रोस्टर कायम करेगा।
- (3) अधिनियम की धारा 34 के प्रवधानों के अनुसार रिक्तियां भरने के लिए विज्ञापन देते समय, प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए प्रत्येक वर्ग में आरक्षित पदों की संख्या का उल्लेख करेगा।
- (4) अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार विकलांगजनों के लिए आरक्षण सम—स्तर होगा और बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए रिक्तियां एक पृथक वर्ग के अंतर्गत रखी जाएंगी।
- 16. **रिक्तियों का परस्पर परिवर्तन** सरकारी प्रतिष्ठान इस अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों का परस्पर परिवर्तन तभी करेंगे, जबकि बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए भर्ती की समुचित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो।
- 17. **रिक्तियों के बारे में रिटर्न जमा कराना** (1) प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान हर 2 वर्ष में एक बार स्थानीय विशेष रोजगार कार्यालय को 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की छमाही के लिए फार्म—I और 1 अक्तूबर से 31 मार्च की अविध के लिए फार्म—II में रिटर्न जमा कराएगा।
- (2) छमाही रिटर्न सम्बद्ध तारीखों अर्थात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च और 30 सितंबर से 30 दिन के भीतर जमा करायी जाएंगी।
- (3) दो वर्षीय रिटर्न प्रत्येक वैकल्पिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर भरी जाएगी : परंतु प्रथम दो वार्षिक रिटर्न 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भरी जाएंगी।

**18. किसी नियोक्ता द्वारा रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रारूप** —प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान विकलांगजन कर्मचारियों का रिकॉर्ड फार्म—III में रखेगा।

## अध्याय - VI

# अत्यधिक सहारे की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को सहायता

- 19. (1) बेंचमार्क विकलांगता के साथ कोई भी व्यक्ति जो यह महसूस करता हो कि उसे अत्यधिक सहारे की आवश्यकता है, तो वह अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है, जो उसके आवेदन को मूल्यांकन बोर्ड के विचारार्थ भेजेंगे, जिसके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार होंगे।
- (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों जिनको अत्यधिक सहारे की आवश्यकता हो, को सहायता प्रदान करने हेतु इस नियमावली की अधिसूचना, के छह माह के भीतर योजना तैयार करेगा जिसमें सहायता की व्यवस्था हेत् स्पष्ट समय सीमा निश्चित की जाएगी।

प्रावधान है कि उपरोक्त योजना केन्द्र सरकार के मूल्यांकन बोर्ड तथा मूल्यांकन पद्धति के गठन के निर्धारण के पश्चात् तैयार की जाएगी।

## अध्याय VII

# सुगम्यता

- 20. **सुगम्यता संबंधी नियम** .— (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान भौतिक वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नांकित मानदंडों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—
  - (क) भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मार्च, 2016 में विकलांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जारी किए गए संतुलित दिशा—निर्देशों और बाधा मुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए निर्धारित स्थान मानकों में सार्वजनिक भवनों के लिए निर्दिष्ट किए गए मानक;
  - (ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सा.का.नि. संख्या 895(अ) दिनांक 20 सितंबर 2016 के तहत जारी अधिसूचना में परिवहन प्रणाली के लिए वर्णित बस निकाय संहिता संबंधी मानक;
  - (ग) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
  - (i) भारत सरकार वेबसाइटों के लिए जारी दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट वेबसाइट मानक, जो प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है;
  - (ii) वेबसाइटों पर प्रदर्शित किए जाने वाले दस्तावेज इलेक्ट्रोनिक पब्लिकेशन (ई–PUB) या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर (ओसीआर) आधारित पीडीएफ फार्मेट में होंगे;
- (2) सम्बद्ध विभाग सम्बद्ध क्षेत्र नियामकों के जरिए अथवा अन्य माध्यमों से इस नियम के अंतर्गत निर्दिष्ट सुगम्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

# अध्याय - VIII

# संस्थान के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

- 21. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग में संयुक्त निदेशक (तकनीकी) विकलांगजनों के लिए संस्थानों के पंजीकरण और ऐसे संस्थानों को अनुदान प्रदान करने के प्रयोजन के लिए धारा 49 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी होंगे:
  - परंतु, यह उपबंधित है कि संयुक्त निदेशक (तकनीकी) का पद किसी व्यक्ति द्वारा धारित न किए जाने की स्थिति में श्रेणीबद्धता में अगला पद धारित व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी समझा जाएगा।
- 22. **पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन और प्रमाण पत्र प्रदान करना** (1) विकलांगजनों के लिए कोई संस्थान स्थापित करने या किसी संस्थान का रख—रखाव करने का इच्छुक व्यक्ति नियम 21 में वर्णित सक्षम प्राधिकारी को अपना आवेदन फार्म 'ए' में भेज सकता है।
  - (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नांकित चीजें संलग्न की जानी चाहिए,
  - (क) विकलांगता के क्षेत्र में किए गए कार्यों या प्रस्तावित कार्यों के संदर्भ में दस्तावेजी साक्ष्य;
  - (ख) संस्थान के प्रचालन के लिए उसका संविधान अथवा उप-नियम या विनियम;
  - (ग) आवेदन की तारीख से पिछले 3 वर्षों में सरकार से प्राप्त अनुदानों का ब्यौरा और तत्संबंधी लेखा परीक्षित विवरण;

- (घ) संस्थान में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या के बारे में एक विवरण उनके सम्बद्ध दायित्वों सिहत;
- (ङ) संस्थान में नियोजित व्यवसायियों की संख्या;
- (च) संस्थान द्वारा नियोजित व्यवसायियों की योग्यता के बारे में एक विवरण; और
- (छ) आवेदक के निवास का प्रमाण।
- (3) उप नियम (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन को सम्बद्ध संस्थान के संदर्भ में निम्नांकित अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी, अर्थात् –
- (क) संस्थान भारतीय समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां) / भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो और ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्र / न्यास विलेख की एक प्रति, संस्थान के उपनियमों और समिति के संगम अनुच्छेद सहित, आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए;
- (ख) ऐसा संस्थान किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय को लाभ पहुंचाने के लिए संचालित नहीं किया जा रहा हो;
- (ग) यह कि संस्थान ने ऐसे व्यवसायियों को नियोजित किया हो, जो विकलांगजनों की विशेष जरूरतें पूरी करने से सम्बद्ध भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ पंजीकृत हों;
- (घ) यह कि संस्थान के पास विकलांगजनों के लिए समुचित शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री हो;
- (ङ) यह कि संस्थान आवेदन करने की तारीख को विकलांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत हो अथवा कार्य करने पर विचार कर रहा हो।
- (4) इस नियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र, जब तक कि अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत रद्द न किया गया हो, प्रदान किए जाने अथवा नवीकृत किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।
- (5) पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन, ठीक उसी तरह करना होगा, जैसे उपनियम (1) के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया गया था और उसके साथ पिछले पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति और इस आशय का कथन संलग्न करना होगा कि आवेदक संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन कर रहा है;

परंतु, यह उपबंधित है कि नवीकरण के लिए आवेदन सम्बद्ध प्रमाण पत्र की वैधता अविध समाप्त होने से 60 दिन पहले किया जाएगाः

- परंतु, यह और भी उपबंधित है कि सक्षम प्राधिकारी 60 दिन के बाद परंतु, 120 दिन से अधिक नहीं, की अविध में पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर विचार कर सकता है, बशर्ते वह इस बात से संतुष्ट हो कि विलंब के लिए उचित कारण दिए गए हैं।
- (6) उपनियम (5) के परंतुक में निर्दिष्ट अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए वैधता अवधि समाप्त होने से पहले आवेदन किए जाने की स्थिति में, पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन के संदर्भ में अगला आदेश पारित होने तक जारी रहेगा और यदि उक्त परंतुक में निर्दिष्ट अनुसार 60 दिन के भीतर नवीकरण का आवेदन नहीं किया जाएगा, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र समाप्त समझा जाएगा।
- (7) उपनियम (1) अथवा उपनियम (5) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आवेदन, जिसके संदर्भ में अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में वर्णित सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि वह अधिनियम और इन नियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र मंजूर किए जाने संबंधी अपेक्षाएं पूरी करता है, का निपटारा 90 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।
- (8) पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने, इनकार करने और निरस्त करने संबंधी फार्म.—(क) संगठन की कार्य प्रणाली की उपयुक्त जांच करने के उपरांत और इस बात से संतुष्ट होने पर कि संगठन धारा 51 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है, सक्षम प्राधिकारी फार्म—बी में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा;
- (ख) उपयुक्त जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर सकता है और तत्संबंधी जानकारी पंजीकरण के लिए किए गए आवेदन की तारीख से 90 दिन के भीतर फार्म—सी में सम्बद्ध संगठन को भेजी जाएगी। परंतु, यह उपबंधित है कि पंजीकरण के लिए इंकार करने की जानकारी भेजने से पहले आवेदक को अपना पक्ष सक्षम प्राधिकारी के सामने रखने का अवसर प्रदान करने के लिए पत्र भेजा जा सकता है, जो अवसर प्रदान करने के लिए जारी किए गए पत्र की तारीख से 15 दिन से अधिक बाद संभव नहीं होगा।
- (ग) अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है और इस तरह रद्द किए जाने की जानकारी सम्बद्ध संगठन को फार्म—डी में दी जाएगी।
- 23. **सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील** धारा 51 की उपधारा (1) में वर्णित सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने से इंकार करने या पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर उसके खिलाफ निदेशक, समाज कल्याण विभाग के समक्ष अपील कर सकता है, जो धारा 53 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। निदेशक, समाज कल्याण विभाग, मामले की

आवश्यक जांच के बाद और अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा आदेश दे सकता है, जो वह उचित समझेः

बशर्तें कि सक्षम प्राधिकारी के रूप में निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया हो, ऐसे आदेश के खिलाफ कोई भी अपील की सुनवाई व निर्णय सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।

### अध्याय–IX

## विकलांगता प्रमाण पत्र

- 24. **विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन** (1) निर्दिष्ट विकलांगता से सम्बद्ध कोई भी व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए फार्म—IV आवेदन कर सकता है और यह आवेदन निम्नांकित को किया जाएगा —
  - (क) किसी चिकित्सा प्राधिकारी अथवा आवेदक के आवेदन के साथ संलग्न किए गए निवास प्रमाण पत्र में वर्णित निवास के जिले में ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिसूचित अन्य सक्षम प्राधिकारी; अथवा
  - (ख) किसी सरकारी अस्पताल, जहां उसकी विकलांगता के संदर्भ में उसका उपचार चल रहा हो या पूर्व में उपचार किया गया हो. में कार्यरत सम्बद्ध चिकित्सा प्राधिकारीः

परंतु यह उपबंधित है कि विकलांगता से सम्बद्ध व्यक्ति नाबालिंग होने अथवा बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित होने अथवा किसी अन्य ऐसी विकलांगता से पीड़ित होने, जिसके कारण वह स्वयं आवेदन करने में अक्षम या असमर्थ हो, तो उसकी ओर से आवेदन उसके कानूनी संरक्षक द्वारा अथवा अधिनियम में पंजीकृत ऐसे संगठन द्वारा किया जा सकता है, जहां देखरेख के लिए नाबालिंग को रखा गया हो।

- (2) आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करने होंगे -
- (क) निवास प्रमाण पत्र;
- (ख) पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम फोटोग्राफ; और
- (ग) आधार संख्या अथवा आधार पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो।

नोट :- ऐसे आवेदक से, जिसके पास आधार अथवा आधार पंजीकरण संख्या हो, निवास का कोई अन्य प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा।

- 25. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग प्रमाणन प्राधिकारियों को अधिसूचित करेगा, जो विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे। विभाग अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (1) और (2) के परंतुकों के अनुसार प्रमाणन प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र और ऐसे नियम एवं शर्तें भी अधिसूचित करेगा, जिनके अंतर्गत उसे अपने प्रमाणन संबंधी कार्यों को अंजाम देना है।
- 26. विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना (1) नियम 24 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, चिकित्सा प्राधिकारी अथवा कोई अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी, आवेदक द्वारा दी गई जानकारी की जांच करेगा और केंद्र सरकार द्वारा जारी सम्बद्ध दिशा—निर्देशों के संदर्भ में विकलांगता का मूल्यांकन करेगा और स्वयं इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि आवेदक विकलांगजन है, फार्म—V, VI और VII जो भी लागू हो, में विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करेगा।
  - (2) चिकित्सा प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करेगा।
  - (3) चिकित्सा प्राधिकारी समुचित जांच के बाद.-
  - (i) ऐसे मामलों में स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करेगा, जहां आगे चल कर विकलांगता की स्थिति में कोई परिवर्तन होने की संभावना न हो; अथवा
  - (ii) ऐसे मामलों में, जहां विकलांगता की स्थिति में अंतर आने की संभावना हो, वैधता अवधि का उल्लेख करते हुए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करेगा।
  - (4) यदि कोई आवेदक विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपात्र पाया जाता है, तो चिकित्सा प्राधिकारी उसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर फार्म—VIII में लिखित रूप से कारणों की जानकारी पदान करेगा।
- 27. **नियम 26 के अंतर्गत जारी किया गया प्रमाण पत्र की वैधता —** ऐसा व्यक्ति, जिसे नियम 26 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, सरकार और सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर—सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों के अंतर्गत विकलांगजनों को दी जाने वाली सभी स्विधाओं, रियायतों और लाभों के लिए आवेदन का पात्र होगा।

- 28. **रद्द अधिनियम के अंतर्गत जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की वैधता** विकलांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत जारी किए गए विकलांगता प्रमाण पत्र की वैधता अधिनियम प्रारंभ होने के बाद, उसमें निर्दिष्ट अविध के लिए बनी रहेगी।
- 29. विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील (1) विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, तत्संबंधी निर्णय की तारीख से 90 दिन के भीतर अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित अपील प्राधिकरण के समक्ष निम्नांकित तरीके से अपीलदायर कर सकता है:—
  - (क) अपील में मामले की संक्षिप्त जानकारी होगी और अपील करने के कारण शामिल होंगे;
  - (ख) अपील के साथ प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी निरसन आदेश की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए :
  - परंतु, यह उपबंधित है कि विकलांगता से सम्बद्ध व्यक्ति नाबालिंग होने अथवा बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित होने अथवा किसी अन्य ऐसी विकलांगता से पीड़ित होने, जिसके कारण वह स्वयं अपील करने में अक्षम या असमर्थ हो, तो उसकी ओर से अपील उसके कानूनी संरक्षक द्वारा की जा सकती है।
  - (2) ऐसी अपील प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकरण अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा और तत्पश्चात ऐसा तर्कसंगत और विस्तृत आदेश पारित करेगा, जो वह उचित समझता हो।
  - (3) उपनियम (1) के अंतर्गत की गई प्रत्येक अपील यथासंभव तेजी से निपटाई जाएगी और इस कार्य में अपील प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा।

### अध्याय 10

# राज्य सलाहकार बोर्ड

- 30. राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के लिए भत्ते— विकलांगता से सम्बद्ध राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर—सरकारी सदस्यों को उक्त बोर्ड की वास्तविक बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिदिन 2000/— रुपये भत्ता अदा किया जाएगा।
- 31. बैठक का नोटिस (1) अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित विकलांगता संबंधी राज्य सलाहकार बोर्ड (जिसे इस अध्याय में बाद में 'बोर्ड' कहा जाएगा) की बैठकें सामान्यतः समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री के कार्यालय में इसके अध्यक्ष द्वारा नियत तारीखों पर आयोजित की जाएंगी : परंतु, यह उपबंधित है कि बोर्ड की हर छह महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।
  - (2) बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के कम से कम 10 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, बोर्ड की विशेष बैठक आमंत्रित कर सकता है।
  - (3) सामान्य बैठक के लिए स्पष्ट 15 दिन का नोटिस और विशेष बैठक के लिए स्पष्ट 5 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, जिसमें बैठक का समय और स्थान निर्दिष्ट होना चाहिए। बैठक में विचारणीय विषयों की जानकारी भी सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों को दी जाएगी।
  - (4) बोर्ड के सदस्यों को बैठक का नोटिस संदेशवाहक द्वारा डिलिवर किया जा सकता है अथवा इसे उनके पिछले ज्ञात निवास या व्यापार स्थलों पर पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है अथवा ईमेल किया जा सकता है अथवा मामले की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त समझे गए किसी अन्य ऐसे माध्यम से भेजा जा सकता है, जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा तय किया गया हो।
  - (5) बोर्ड का कोई सदस्य बैठक के लिए कोई ऐसा विषय विचारार्थ प्रस्तुत नहीं करेगा, जिसके लिए उसने बोर्ड के सदस्य सचिव को स्पष्ट रूप से 10 दिन का नोटिस न दिया हो, परंतु बोर्ड का अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से ऐसा करने की अनुमति दे सकता है।
  - (6) बोर्ड अपनी बैठक एक दिन से दूसरे दिन के लिए अथवा किसी खास दिन के लिए निम्नांकित अनुसार स्थगित कर सकता है :--
  - (क) जब बोर्ड की बैठक उसी दिन के लिए स्थगित की गई हो, तो ऐसी बैठक स्थगित करने का नोटिस उस स्थान पर उपलब्ध बोर्ड के सदस्यों को दिया जाएगा, जहां स्थगित की जाने वाली बैठक आयोजित की जानी थी और शेष सदस्यों को बैठक स्थगित किए जाने का नोटिस देना अनिवार्य नहीं होगा;
  - (ख) ऐसे मामले में, जहां बोर्ड की बैठक उसी दिन स्थिगत की गई हो, लेकिन अगली तारीख के लिए बैठक स्थिगत की गई हो तो ऐसी बैठक का नोटिस उपनियम (4) में निर्दिष्ट तरीके से बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजा जाएगा।
- 32. **पीठासीन अधिकारी** बोर्ड की प्रत्येक बैठक में उसका अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होगा, परंतु, बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में बोर्ड के उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता के लिए एक सदस्य का चुनाव करेंगे।

- 33. **कोरम** (1) बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति किसी भी बैठक के लिए कोरम समझी जाएगी।
  - (2) किसी बैठक के लिए तय किए गए किसी समय पर अथवा किसी बैठक के दौरान यदि बोर्ड के कुल सदस्यों का एक तिहाई से कम सदस्य उपस्थित होंगे, तो अध्यक्ष अगले दिन के लिए निर्दिष्ट समय तक बैठक को स्थगित कर सकता है अथवा भविष्य की कोई तारीख निर्धारित करते हुए किसी अन्य दिन तक बैठक स्थगित कर सकता है।
  - (3) बोर्ड की स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा।
  - (4) बोर्ड की सामान्य या विशेष बैठक, जो भी लागू हो, के लिए तय कार्य सूची से इतर किसी विषय पर स्थगित बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।
  - (5) (क) उपनियम (2) के अंतर्गत कोरम के अभाव के कारण अगले दिन के लिए स्थगित की गई बोर्ड की बैठक के मामले में इस तरह स्थगित की गई बैठक का नोटिस उस स्थान पर उपलब्ध बोर्ड के सदस्यों को दिया जाएगा, जहां स्थगित की गई बैठक होनी थी और अन्य सदस्यों को स्थगित बैठक का नोटिस देना अनिवार्य नहीं होगा; और
  - (ख) जहां उपनियम (2) के अंतर्गत कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक अगले दिन की बजाए किसी अन्य दिन के लिए स्थिगित की गई हो, और उसकी तारीख में पर्याप्त अंतराल हो, तो इस तरह स्थिगित की गई बैठक का नोटिस नियम 31 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट अनुसार बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजा जाएगा।
- 34. कार्यवृत्त (1) बोर्ड की बैठक में उपस्थित बोर्ड के सभी सदस्यों के नामों और बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए एक रजिस्टर में रखा जाएगा।
  - (2) बोर्ड की पिछली बैठक के कार्यवृत्त को प्रत्येक अगली बैठक के शुरू में पढ़ कर सुनाया जाएगा और प्रत्येक बैठक में पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर के साथ उसकी पुष्टि की जाएगी।
  - (3) बैठक की कार्यवाहीसदस्य सचिव के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी ताकि बोर्ड का कोई भी सदस्य कार्यालय समय के दौरान उसकी जांच कर सके।
- 35. **बैठक में किए जाने वाले कार्य** पीठासीन अधिकारी की अनुमित के बिना कार्य सूची से इतर किसी विषय पर अथवा ऐसे किसी विषय पर, जिसका नोटिस नियम 31 के उपनियम (5) के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा न दिया गया हो, विचार नहीं किया जाएगा।
- 36. **राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक के लिए कार्यसूची** —जब तक कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति से बैठक में अन्यथा तय न किया गया हो, बोर्ड की किसी बैठक में विषयों पर विचार कार्यसूची में वर्णित क्रम के अनुसार किया जाएगा।
  - परंतु, यह उपबंधित है कि बोर्ड की बैठक के प्रारंभ में अथवा बैठक के दौरान किसी प्रस्ताव पर बहस पूरी होने के बाद, पीठासीन अधिकारी अथवा बोर्ड का कोई सदस्य कार्य सूची में वर्णित विचारणीय विषयों में परिवर्तन का सुझाव दे सकता है और यदि बोर्ड का अध्यक्ष अनुमति दे देता है, तो ऐसा बदलाव संभव होगा।
- 37. **बहुमत द्वारा निर्णय** बोर्ड की बैठकों में विचारणीय सभी विषयों के बारे में निर्णय बोर्ड के उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा और मत समान होने की स्थिति में बोर्ड के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड के उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में बैठक के पीठासीन सदस्य, जो भी लागू हो, को दूसरा या निर्णायक वोट देने का हक होगा।
- 38. **किसी रिक्ति अथवा अन्य कमी के कारण कोई कार्यवाही अवैध नहीं होगी** किसी पद के रिक्त होने अथवा बोर्ड के संविधान में कोई कमी होने के कारण बोर्ड की कोई कार्यवाही अवैध नहीं समझी जाएगी।
- 39 **जिला स्तरीय समिति**—अधिनियम की धारा 72 में वर्णित विकलांगता संबंधी जिला स्तरीय समिति में निम्नांकित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :—
  - (i) संघ अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ले सरकार की सिविल सेवाओं का एक अधिकारी, जो जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त के रैंक से कम न हो, जिले के अनुसार जो भी लागू हो – पदेन अध्यक्ष;
  - (ii) मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सदस्य
  - (iii) जिला अस्पताल का मनोचिकित्सक सदस्य
  - (iv) जिला पब्लिक प्रोसिक्यूटर सदस्य
  - (v) सहायक आयुक्त (श्रम) सदस्य
  - (vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्थानीय निकाय, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि — सदस्य
  - (vii) विकलांकता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले पंजीकृत संगठन का प्रतिनिधि — सदस्य
  - (viii) अधिनियम की धारा 2 के खंड (खंडों) में परिभाषित अनुसार विकलांगजन सदस्य

(ix) अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित कोई अन्य सदस्य

- सदस्य
- (x) जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- -सदस्य सचिव
- (2) जिले के उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत प्रत्येक जिले के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और उसका कार्यकाल गठन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 40. सिमिति के कार्य -विकलांगता संबंधी जिला स्तरीय सिमिति निम्नांकित कार्य करेगी, अर्थात् :-
  - (क) जिला अधिकारियों को विकलांगजनों के पुनर्वास और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों में सलाह देगी;
  - (ख) अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी;
  - (ग) सरकार द्वारा विकलांगजनों के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन में जिला प्राधिकारियों की सहायता करेगी:
  - (घ) जिला प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन न करने के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच करेगी और ऐसी शिकायतों के निवारण के बारे में सम्बद्ध प्राधिकारी को उपयुक्त सुधार के उपायों की अनुशंसा करेगी;
  - (ङ) अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत असंतुष्ट सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की अपील पर जिला स्तरीय प्रतिष्ठानों द्वारा की गई कार्यवाही की जांच करेगी और समुचित उपायों की अनुशंसा करेगी; तथा
  - (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

## अध्याय - 11

# विकलांगजनों के लिए राज्य आयुक्त

- 41. **राज्य आयुक्त की नियुक्ति के लिए योग्यता** अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के अतर्गत विकलांगजनों के लिए राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति को पात्रता की निम्नांकित शर्तें पूरी करनी होंगी :—
  - (i) उसे विकलांगजनों के पुनर्वास से संबंधित मामलों की विशेष जानकारी अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए;
  - (ii) उसकी आयु राज्य आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट अंतिम तारीख वाले वर्ष की पहली जनवरी को 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
  - (iii) यदि वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा में हो, तो उसे अपने पद पर नियुक्ति से पहले वर्तमान पद से सेवा निवृत्त होना होगा; और
  - (iv) उसके पास निम्नांकित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव होना चाहिए, अर्थात् :--
  - (क) शैक्षिक योग्यता : —
  - (i) अनिवार्य : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
  - (ii) वांछनीय : सामाजिक कार्य अथवा विधि या प्रबंधन अथवा विकलांगजनों के मानवाधिकारों या पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त किया हो।
  - (ख) अनुभव :- समूह 'क' स्तर या समकक्ष पद पर कम से कम 20 वर्ष का कार्यानुभव:-
  - (i) केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत अथवा
  - (ii) विकलांगता संबंधी मामलों अथवा सामाजिक क्षेत्र से सम्बद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों में; अथवा
  - (iii) विकलांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में सक्रिय किसी पंजीकृत राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठन में विष्ठ स्तरीय कार्यकारी पद पर काम किया हो। परंतु, इस उपखंड में वर्णित कुल 20 वर्ष के अनुभव में से तत्काल निकटवर्ती अतीत में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव विकलांगजनों के सशक्तिकरण से सम्बद्ध होना चाहिए।
- 42. **राज्य आयुक्त की नियुक्ति की पद्धति** (1) राज्य आयुक्त का पद रिक्त होने से कम से कम 6 महीने पहले, कम से कम 2 राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जिनमें से एक अखबार अंग्रेजी और दूसरा भारतीय भाषा का होना चाहिए, जिसमें नियम 41 में वर्णित मानदंड पूरे करने वाले पात्र उम्मीदवारों से पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

- (2) राज्य सरकार द्वारा तलाश-एवं-चयन समिति गठित की जाएगी, जो राज्य आयुक्त के पद के लिए 3 उपयुक्त उम्मीदवारों की एक सूची अनुशंसित करेगी।
- (3) **तलाश एवं चयन समिति का गठन —**मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तलाश एवं चयन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण, प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंडलीय आयुक्त और प्रधान सचिव / शिक्षा सचिव शामिल होंगे।
- (4) उपनियम (2) के तहत तलाश एवं चयन समिति द्वारा अनुशंसित सूची में उपनियम (1) के अंतर्गत दिए गए विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से चुने गए उम्मीदवारों तथा केंद्र या राज्य सरकार में सेवारत कर्मचारियों में से इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों में से समिति द्वारा उपयुक्त समझे गए व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएंगे।
- (5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपनियम (2) के अंतर्गत तलाश एवं चयन समिति द्वारा अनुशंसित सूची में से एक उम्मीदवार को राज्य आयुक्त नियुक्त करेगी।
- 43. **राज्य आयुक्त का कार्यकाल** —(1) राज्य आयुक्त की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जाएगी, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए की जाएगी।
  - (2) कोई व्यक्ति राज्य आयुक्त के पद पर अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए रह सकता है, परंतु ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष रहेगी।
- 44. **राज्य आयुक्त का वेतन और भत्ते** (1) राज्य आयुक्त का वेतन और भत्ते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सचिव को मिलने वाले वेतन और भत्तों के समान होंगे।
  - (2) यदि राज्य आयुक्त किसी सेवारत सरकारी कर्मचारी अथवा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान या स्वायत्त निकाय के सेवानिवृत्त कर्मचारी को बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे इन नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य वेतन में से पिछली सेवा के संदर्भ में प्राप्त हो रही पेंशन राशि घटा दी जाएगी, और यदि उसने पेंशन के एक हिस्से के बदले कोई राशि प्राप्त की होगी, तो उसका कम्युटिड मूल्य भी प्रस्तावित वेतन से घटा दिया जाएगा।
- 45. **राज्य आयुक्त की अन्य सेवा शर्ते** (1) राज्य आयुक्त की अन्य सेवा शर्तें नीचे निर्दिष्ट अनुसार होंगी, अर्थात् :—
  - (क) **अवकाश** : राज्य सिविल सेवा नियमों के सम्बद्ध प्रावधानों के तहत राज्य आयुक्त समूह 'क' अधिकारी के समान अवकाश पाने का हकदार होगा।
  - (ख) **अवकाश यात्रा रियायत** : राज्य आयुक्त राज्य सिविल सेवा नियमों के सम्बद्ध प्रावधानों के तहत समूह 'क' अधिकारी के समान अवकाश यात्रा रियायत पाने का पात्र होगा।
  - (ग) चिकित्सा लाभ राज्य आयुक्त राज्य सिविल सेवा नियमों के सम्बद्ध प्रावधानों के तहत समूह 'क' अधिकारी के समान चिकित्सा लाभ पाने का पात्र होगा।
- 46. **त्याग—पत्र और बर्खास्तगी —**(1) राज्य आयुक्त स्व—हस्ताक्षरित लिखित नोटिस के साथ अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को संबोधित होना चाहिए।
  - (2) निम्नांकित स्थितियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राज्य आयुक्त को बर्खास्त कर सकती है –
  - (क) दिवालिया हो जाने की स्थिति में; अथवा
  - (ख) पद पर कार्य करते हुए अपने कार्यालय के दायित्वों से बाहर किसी लाभकारी रोजगार या गतिविधि में संलग्न होने की स्थिति में; अथवा
  - (ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध होने और कारावास की सजा पाने की स्थिति में, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दृष्टि में नैतिक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता हो; अथवा
  - (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की नजर में मस्तिष्क अथवा शरीर की किसी कमजोरी के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त होना या अधिनियम में वर्णित कार्यों के निष्पादन में गंभीर चूक होना; अथवा
  - (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुपस्थिति की अनुमित प्राप्त किए बिना लगातार 15 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहना; अथवा
  - (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की मत में राज्य आयुक्त के पद का इस कदर दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना विकलांगजनों के हितों के लिए हानिकारक हो : परंतु, इस नियम के अंतर्गत किसी राज्य आयुक्त को पद से हटाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समूह 'क' अधिकारी को बर्खास्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यथोचित परिवर्तनों सहित, अपनाना अनिवार्य होगा।
  - (3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ऐसे राज्य आयुक्त को, जिसे बर्खास्त करने के लिए उपनियम (2) के अनुसार कार्रवाई की जा रही हो, ऐसी कार्रवाई का परिणाम आने तक, निलंबित कर सकती है।

- 47. **अन्य प्रावधान** राज्य आयुक्त की सेवा की अन्य शर्तें, जिनके संदर्भ में इन नियमों के अंतर्गत कोई स्पष्ट प्रावधान न किया गया हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सचिव के संदर्भ में तत्समय प्रवृत्त नियमों एवं आदेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
- 48. **राज्य आयुक्त की सहायता के लिए सलाहकार सिमित** —(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एक सलाहकार सिमित नियुक्त करेगी, जिसमें 5 विशेषज्ञ होंगे, जिनमें अधिनियम की अनुसूची में वर्णित विकलांगता के 5 समूहों में से प्रत्येक से एक—एक शामिल होगा। इन विशेषज्ञों में दो महिलाएं होंगी।
  - (2) राज्य आयुक्त जरूरत के अनुसार विषय या क्षेत्र से सम्बद्ध ऐसे विशेषज्ञ आमंत्रित कर सकता है, जो बैठक या सुनवाई के दौरान और रिपोर्ट तैयार करने में उसकी सहायता कर सके।
  - (3) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा और सदस्य पुनः नामित किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
  - (4) सलाहकार समिति के गैर—आधिकारिक सदस्यों को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए 2000 / रुपये प्रति दिन भत्ते के रूप में दिए जाएंगे।
- 49. **राज्य आयुक्त द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया** (1) शिकायतकर्ता निम्नांकित ब्यौरा देते हुए राज्य आयुक्त को व्यक्तिगत रूप में या अपने एजेंट के माध्यम से शिकायत कर सकता है अथवा उसे पंजीकृत डाक से या ईमेल के जरिए राज्य आयुक्त को भेज सकता है, अर्थात् —
  - (क) शिकायतकर्ता का नाम, विवरण और पता;
  - (ख) प्रतिवादी या प्रतिवादियों, जो भी लागू हो, के नाम, विवरण और पते, जहां तक उनका पता चला हो;
  - (ग) शिकायत से संबंधित तथ्य और यह कब और कैसे पैदा हुई;
  - (घ) शिकायत में वर्णित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज; और
  - (ङ) राहत, जो शिकायतकर्ता दावा करना चाहता हो।
  - (2) राज्य आयुक्त शिकायत प्राप्त होने के बाद शिकायत की एक प्रति प्रतिवादी या प्रतिवादियों, जिनके नाम शिकायत में वर्णित हों, को उपलब्ध कराएगा और उन्हें निर्देश देगा कि वे 30 दिन के भीतर या राज्य आयुक्त द्वारा दी गई विस्तारित अवधि, जो 15 दिन से अधिक नहीं होगी, के भीतर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।
  - (3) सुनवाई की तारीख पर अथवा अन्य तारीख जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई हो, पर पक्षकारों या उनके एजेंटों को राज्य आयुक्त के समक्ष उपस्थित होना होगा।
  - (4) यदि शिकायतकर्ता अथवा उसका एजेंट राज्य आयुक्त के समक्ष निर्धारित तारीखों पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो राज्य आयुक्त अनुपस्थिति के कारण शिकायत को निरस्त कर सकता है अथवा गुण–दोष के आधार पर फैसला कर सकता है।
  - (5) यदि सुनवाई की तारीख पर प्रतिवादी या उसका एजेंट उपस्थित नहीं होता है, तो राज्य आयुक्त अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत जो उपयुक्त समझे, वह कार्रवाई कर सकता है, ताकि प्रतिवादी को बुलाया और प्रवृत्त किया जा सके।
  - (6) राज्य आयुक्त यदि आवश्यक समझे तो शिकायत का निपटारा एक तरफा कर सकता है।
  - (7) राज्य आयुक्त ऐसी शर्तों पर, जो वह उपयुक्त समझता हो, और सुनवाई के किसी स्तर पर, शिकायत पर सुनवाई स्थिगित कर सकता है।
  - (8) राज्य आयुक्त यथासंभव प्रतिवादियों द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर शिकायत का निपटारा करेगा।
- 50. **वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना** (1) राज्य आयुक्त वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र, परंतु अगले वर्ष में सितंबर की 30 तारीख तक, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को सौंपेगा, जिसमें उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों का पूरा ब्यौरा शामिल होगा।
  - (2) उपनियम–1 में वर्णित वार्षिक रिपोर्ट विशेष रूप से ऐसे प्रारूप में होगी, जिसमें अलग–अलग मामलों का ब्यौरा अलग–अलग शीर्षकों के अंतर्गत दिया गया हो और उसमें अन्य बातों के अलावा निम्नांकित में से प्रत्येक मामले के संदर्भ में जानकारी दी गई हो, अर्थात् :–
  - (क) राज्य आयुक्त के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम तथा संगठनात्मक ढांचे को प्रदर्शित करने वाला एक चार्ट;
  - (ख) उन कार्यों का विवरण, जिनके लिए राज्य आयुक्त अधिनियम के तहत अधिकृत है और इस बारे में कार्य निष्पादन की प्रमुख बातें;
  - (ग) राज्य आयुक्त द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें;
  - (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अधिनियम के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति; और

(ङ) राज्य आयुक्त द्वारा समाविष्ट किए जाने के लिए उपयुक्त समझा गया कोई अन्य मामला या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए समय–समय पर निर्दिष्ट कोई मामला।

# अध्याय XII

# लोक अभियोक्ता

- 51. **लोक अभियोक्ता की नियुक्ति** (1) लोक अभियोक्ता की नियुक्ति प्रत्येक विशेष अदालत में की जाएगी, जिसमें निम्नांकित गुण होने चाहिए —
  - (क) विकलांगजनों के मामलों से निपटने के व्यावहारिक अनुभव को वरीयता दी जाएगी;
  - (ख) बार में काम करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव; और
  - (ग) स्थानीय भाषा और रीति-रिवाजों की बेहतर जानकारी।
  - (2) अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोक्ता की फीस और अन्य पारिश्रमिक वही होंगे, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोक्ता को सत्र अदालत के समक्ष मामलों के संचालन के लिए दिए जाते हैं।

## अध्याय XIII

# विकलांगजनों के लिए राज्य निधि

- 52. विकलांगजनों के लिए राज्य निधि और उसका प्रबंधन (1) विकलांगजनों के लिए राज्य निधि सृजित की जाएगी, जिसे बाद में ''राज्य निधि'' कहा जाएगा
  - (क) अनुदान, उपहार, चंदा, दान, उत्तरदान या अंतरण से प्राप्त सभी राशियां,
  - (ख) सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त सभी राशियां; और
  - (ग) कॉर्पोरेट घरानों / सीएसआर के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से प्राप्त समस्त राशियां अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा तय किए गए अन्य स्रोतों से प्राप्त राशियां।
  - (2) राज्य निधि के प्रबंधन के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् —
  - (क) प्रधान सचिव या सचिव, समाज कल्याण विभाग

–अध्यक्षः

- (ख) वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि
- (ग) योजना विभाग का एक प्रतिनिधि
- (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग; शिक्षा विभाग, श्रम और रोजगार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम रैंक के न हों, जो वर्णानुक्रम से बारी–बारी से शामिल किए जाएंगे —सदस्य;
- (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नामित अलग–अलग विकलांगताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, बारी–बारी से
- (च) समाज कल्याण विभाग का निदेशक-संयोजक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- (3) कार्यकारिणी की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी, परंतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।
- (4) नामित सदस्य 3 वर्ष से अधिक अपने पद पर नहीं रहेंगे।
- (5) कार्यकारिणी का कोई सदस्य अपनी कार्यावधि के दौरान निधि का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- (6) मनोनीत गैर–सरकारी सदस्य कार्यकारिणी की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समूह 'क' अधिकारी के समान यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे।
- (7) उपनियम (2) के खंड (ख) और (ग) के अंतर्गत नामित कार्यकारिणी का कोई सदस्य –
- (क) किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं होना चाहिए, या नहीं रहा हो, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की राय में नैतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता हो: अथवा
- (ख) दिवालिया न हो अथवा किसी समय दिवालिया न रहा हो, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो।

- 53. **राज्य निधि का उपयोग** (1) राज्य निधि का उपयोग निम्नांकित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात :--
  - (क) ऐसे क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की किसी स्कीम और कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से कवर न हुए हों;
  - (ख) निधि के प्रशासनिक और अन्य व्यय, जो अधिनियम के अंतर्गत खर्च किए जाने अपेक्षित हों; और
  - (ग) अन्य ऐसे प्रयोजन, जो कार्यकारिणी द्वारा तय किए गए हों।
  - (2) व्यय का प्रत्येक प्रस्ताव अनुमोदनार्थ कार्यकारिणी के समक्ष रखा जाएगा।
  - (3) कार्यकारिणी जरूरत अनुसार राज्य निधि के प्रबंधन एवं उपयोग की देखरेख के लिए, ऐसी कार्यशर्तों के अधीन, जो वह उपयुक्त समझती हो, लेखाकारों सहित लिपिकीय स्टाफ नियुक्त कर सकती है।
  - (4) राज्य निधि को कार्यकारिणी द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार निवेश किया जाएगा।
- 54. **बजट** राज्य निधि का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर वर्ष जनवरी में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य निधि के तहत व्यय किए जाने हेतु बजट तैयार करेगा, और उसे कार्यकारिणी के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा, जिसमें निधि के अंतर्गत अनुमानित प्राप्ति और व्यय दर्शाया जाएगा।
- 55. **वार्षिक रिपोर्ट** —विकलांगजनों से सम्बद्ध राज्य आयुक्त द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट में राज्य निधि के बारे में एक अध्याय शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

> डॉ. ए. माधवी, वरिष्ठ अधीक्षक (विकलांगजन कल्याण शाखा)

> > फार्म–क

# पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

(दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 का नियम 22(1) देखें)

(1) संगठन का नाम
(2) किस संस्थान / परियोजना के संदर्भ में आवेदन किया गया :
(क) पता और फोन नं. (पंजीकृत कार्यालय) :
(ख) परियोजना कार्यालय का नाम :
(ग) परियोजना कार्यालय का पता :
(घ) फोन/फैक्स/टैलेक्स/(कार्यालय)/इमेल आईडी (परियोजना)—————
3. (i) अधिनियम का नाम, जिसके अंतर्गत संगठन पंजीकृत है :

- (ii) पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (कृपया फोटोप्रति संलग्न करें)
- 4. संगठन का संगम अनुच्छेद और उपनियम (कृपया फोटो प्रति संलग्न करें)
- 5. संगठन के प्रबंधन बोर्ड / कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय और अन्य ब्यौरा।
- 6. संगठन की वर्तमान गतिविधियांः
- 7. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज की सूची:
- (क) पिछले 3 वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्टों की एक प्रतिः
- (ख) सदस्य संख्या तथा मुहर सहित सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले 3 वित्तीय वर्षों का लेखा परीक्षा विवरण (प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता, तुलनपत्रक)

8.	संगठन का	स्वरूप	(कृपया	इस बात	का सह	ा सही ब्यं	ोरा दें कि	संस्थान	दृष्टिबाधित / मूक एव	i बधिर/अस्थि
विकलांग	/ मानसिक ब	ग्राधित	व्यक्तियों,	, आदि के	लिए ए	क शैक्षिव	या प्रशि	क्षण या	आवासीय अथव	। कार्यशाला है)।

- 9. क्या संस्थान स्वयं के / किराए / आवंटित भवन में स्थित है (समुचित साक्ष्य संलग्न करें) :
- 10. यदि छात्रावास संचालित है तो छात्रावास में रहने वाले सदस्यों की संख्या :
- 11. विकलांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का ब्यौरा :
  - (क) भवन का क्षेत्र :----
  - (ख) क्रियाकलापों / आवासीय उपयोग के लिये उपलब्ध कमरेः -----
  - (ग) प्रशासनिक उपयोग के लिये कमरे: -----
  - (घ) सुगम्य शौचालयों की संख्या : -----
  - (ङ) उपलब्ध अन्य सुगम्य विशेषताएं (लिफ्ट / रेम्प / रेलिंग):----
  - (ज) क्या सुगम्य परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है,यदि हां तो विवरण दें:-----
  - 12. संस्थान में कार्यरत स्टाफ का ब्यौरा निम्नांकित प्रारूप में -

नाम	पुरुष / महिला	आयु	शैक्षिक	पता	संपर्क	दायित्व	वेतन	आधार	आरसीआई
			योग्यता		विवरण			संख्या	पंजीकरण
									संख्या
									(आरसीआई
									प्रमाणपत्र
									की प्रति
									संलग्न करें)

नोट: विदेशी स्वयंसेवकों के मामले में पुलिस के जिए मूल देश अथवा जन्म से पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच अनिवार्य है।

(13) संस्थान द्वारा कवर किए गए / प्रस्तावित लाभार्थियों का ब्यौरा तथा विकलांगता का स्वरूप निम्नांकित प्रारूप में :

क्र सं	नाम	पिता का नाम	पुरुष / महिला	आयु	पता	संपर्क विवरण	विकलांगता का प्रकार	आधार संख्या

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम तथा हस्ताक्षर मुहर सहित)

फार्म-ख

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समाज कल्याण विभाग, राजकीय लेडी नोएस स्कूल कॉम्प्लैक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली — 110002

# पंजीकरण प्रमाण—पत्र (दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 22(8)(क) के प्रावधान के अंतर्गत जारी)

पंजीकरण संख्या	दिनांक :	
प्रमाणित किया जाता है कि (स्वैच्छिक संगठन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, ने विकलांगजन अधिकार अधिनि प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी सभी औपचारिकताएं / प्रक्रियाएं प	यम 2016 की धारा 51 की उपधारा (2) के 3	
दिनांक को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 1. संगठन का नाम और पंजीकृत पता :		
<ol> <li>संगठन की शाखा / परियोजनाओं का नाम और पता :</li> <li>संगठन के प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम और पता :</li> </ol>		
यह पंजीकरण प्रमाण पत्र वर्षके महीने राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरी/सक्षम अ प्रतिनिधियों द्वारा इसमें वर्णित कार्यशर्तों के अनुपालन के अधीन है।	धिकारी द्वारा जारी किया गया, जो संगट	
पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक को इसकी वैधता अवधि समाप्त होने नवीकरण हेतु आवेदन करना होगा।	ने की तारीख से कम से कम 60 दिन पह	ले पंजीकरण के

# पंजीकरण प्रमाण-पत्र की कार्य शर्तें

- इस पंजीकरण प्रमाण पत्र का धारक संगठन के लाभार्थियों को निम्नांकित सुविधाएं प्रदान करेगा :
  - (क) समुचित सुगम आवास और सुगम स्वच्छता सुविधाएं
  - (ख) समुचित चिकित्सा देखभाल और उपचार
  - (ग) मनोरंजन की सुविधाएं
  - (घ) शैक्षिक और व्यावसायिक या कौशल परीक्षण
- 2. लड़िकयों के लिए आवासीय परिसर, यदि कोई हों, तो वे लड़कों के आवासीय परिसर से पृथक होंगे।
- 3. इस पंजीकरण प्रमाण पत्र का धारक स्वयं के अथवा अन्य के किसी निजी प्रयोजन के लिए संगठन के किसी लाभार्थी को नियोजित नहीं करेगा अथवा किसी अन्य को नियोजित करने की अनुमति नहीं देगा।

- 4. प्रभारी / परियोजना प्रबंधक एक आगंतुक पुस्तिका रखेगा, जिसमें संगठन का निरीक्षण करने वाले सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों का रिकॉर्ड होगा। प्रभारी / परियोजना प्रबंधक उक्त पुस्तिका में दर्ज होने वाली टिप्पणियों की एक प्रति, तत्संबंधी अनुपालन रिपोर्ट के साथ सम्बद्ध यात्रा की तारीख से सात दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को देगा।
- 5. पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की जांच कार्य में सहायता करेगा।
- 6. प्रमाण पत्र प्रभारी अधिकारी / परियोजना प्रबंधक के कार्यालय में आमतौर पर स्पष्ट दिखने वाले स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- 7. कार्यालय पदाधिकारियों में कोई बदलाव होने पर उसकी जानकारी तत्काल सक्षम प्राधिकारी और सम्बद्ध जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी को दी जाएगी।
- मंजीकरण प्रमाणपत्र धारक यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रमाणपत्र का विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा
   6 और 7 के अनुसार कोई दुरुपयोग, उल्लंघन और शोषण नहीं किया जाना चाहिए।
- 9. प्रमाण पत्र धारक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी स्वयंसेवकों के मामले में संस्थान / केंद्र की यात्रा / प्रवास के लिए अनुमित देने से पहले पुलिस के जिरए उनकी मूल देश से पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जाए।
- 10. पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि आग बुझाने आदि तरह की मानव निर्मित / प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षा के समृचित उपाय किए गए हैं।
- 11. प्रमाण पत्र धारक प्रमाण पत्र पंजीकरण की शर्तों और विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों / विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

फार्म—ग

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समाज कल्याण विभाग, राजकीय लेडी नोएस स्कूल कॉम्प्लैक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली — 110002 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने से इंकार करना

(दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 22(8)(ख) के प्रावधान के अंतर्गत जारी)

	दिनांक :
संगठन (संगठन का नाम और पंजीकृत पता) के श्री (अधिकृत	प्रतिनिधि) ने विकलांगजन
अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 51 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपनी	परियोजना (संगठन की
शाखा / परियोजनाओं का नाम और पता) के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। इस संदर्भ में	सूचित किया जाता है कि
सक्षम प्राधिकारी ने निम्नांकित कमियों के कारण संगठन को पंजीकरण का पात्र नहीं समझा है :	
1.	

2.

3.

एतद्द्वारा दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम 2018 के नियम 22 के उपनियम (8) के अतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान न किए जाने से इंकार किया जाता है। यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त किमयां दूर करने के बाद संगठन प्राधिकृत प्रतिनिधि के जिए नया आवेदन भेजा जाए।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिनांक :

फार्म घ

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समाज कल्याण विभाग, राजकीय लेडी नोएस स्कूल कॉम्प्लैक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली — 110002 पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करना

(दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 22(8)(ग) के प्रावधान के अंतर्गत जारी)

संगठन (संगठन का नाम और पंजीकृत पता) के श्री (अधिकृत प्रतिनिधि) ने विकलांगजन
अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 51 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपनी परियोजना (संगठन की
शाखा / परियोजनाओं का नाम और पता) के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम और
नियमों के सम्बद्ध प्रावधानोंके अंतर्गत दिनांक को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया था और अब सक्षम
प्राधिकारी के पास ऐसे कारण और प्रमाण हैं कि पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक ने —
$(\sigma)$ दिल्ली विकलांगजन अधिनियम 2016 की धारा 51 की उपधारा $(1)$ के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी $/$ के
नवीकरण के लिए आवेदन के संदर्भ में एक बयान दिया है, जो भौतिक दृष्टि से गलत और असत्य है; अथवा
(ख) उन्होंने उन नियमों या कार्यशर्तों का उल्लंघन किया है, अथवा उल्लंघन हुआ है, जिनके तहत प्रमाण पत्र जारी किया
गया था।
अतः अब दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम 2018 के नियम 22 के उपनियम (8) के प्रावधानों के तहत संगठन को
जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया जाता है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

# फॉर्म—I (विकलांगजन नियोक्ता का रिटर्न)

# (दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 का नियम 17 (1) तथा दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2017 का नियम 13(1) देखें)

को समा	प्त हुए आधे वर्ष की समा	प्ति पर विशेष रोजगार व	गर्यालय में जमा कराने हे	हेतु छमाही रिटर्न			
नियोक्ता का नाम एवं प प्रधान कार्यालय शाखा कार्यालय							
कामकाज का प्रकार / मुख्य गतिविधि							
1. रोजगार	। रोजगार						
पर वेतनभोगी एवं अनुबं पारिश्रमिक अथवा वेतन	धित कर्मचारियों समेत कु सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा f	ल व्यक्तियों की संख्या। (		ड़कर सरकार के वेतन रि सम्मिलित होना चाहिये जि			
पूर्ववर्ती आधे वर्ष के अंवि	तेम कार्यदिवस पर						
अंधापन एवं भ्षीण दृष्टि	बधिर एवं ऊंचा सुनने वाले	प्रमस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठरोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित एवं पेशीय अपविकास समेत गति संबंधी विकलांगता	स्वलीनता, बौद्धिक अक्षमता, सीखने की विकलांगता एवं मानसिक रोग	मूक-बधिरता समेत कॉलम (1) से (4) के अंतर्गत विकलांगजनों में एकाधिक विकलांगता			
(1)	(-)	(3)	(4)	(5)			
०७ आलोच्य छमाही के अंति	(2) ाम कार्यदिवस पर						
अंधापन एवं भ्रीण दृष्टि	बधिर एवं ऊंचा सुनने वाले	प्रमस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठरोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित एवं पेशीय अपविकास समेत गति संबंधी विकलांगता	स्वलीनता, बौद्धिक अक्षमता, सीखने की विकलांगता एवं मानसिक रोग	मूक-बधिरता समेत कॉलम (1) से (4) के अंतर्गत विकलांगजनों में एकाधिक विकलांगता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
विकलांग पुरुषव विकलांग महिलाएं कुल योग							
(T) and T + -	- <del> </del>		<b>&gt;</b>	- <del>)</del>	<del>4 →</del>		

(ख). आधे वर्ष के दौरान यदि रोजगार में बढ़त अथवा कमी 5% से अधिक है तो कृपया रोजगार में इस बढ़त अथवा कमी को इंगित करें ।

2. रिक्तियां :- ऐसी रिक्तियां जो प्रतिमाह मौजूदा न्यूनतम वेतन के अनुरूप पारिश्रमिक वाली एवं छह माह से अधिक की कालाविध वाली हों।

(क). छमाही के दौरान पै एवं विकलांगता वाली महि	दा और अधिसूचित हुई रिक्तियों की उ हेलाओं के लिये अलग से संख्या दी उ	संख्या औरं छमाही के के दौ जा सकती है)।	रान भरे गए पद	(विकलांगताः	वाले पुरुषों
रिक्तियों की संख्या जो अ	धिनियम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आर्त	ो हैं			
सृजित	अधिसूचित	भरी गई	स्रोत		

स्थानीय / विशेष रोजगार कार्यालय

सामान्य रोजगार कार्यालय

(उस स्रोत का उल्लेख करें जिससे भरी गई है)

(ख). आधे वर्ष के दौरान पैदा रिक्तियों को अधिसूचित न करने के कारण, रिपोर्ट संख्या देखें 2 (क)......

# कार्मिकों की कमी

रिक्तियां / उपयक्त आवेदकों की अल्पता के कारण अपरित पद।

1(1(1/41/ 013(1/01)44/1 4/1	जार गता कर करार । जा गूरिसा अब	I .	
व्यवसाय का नाम अथवा	अपूरित रिक्तियों / पदों की	अनिवार्यता योग्यता	अनिवाय अनुभव / वांछित
पदों का नाम	संख्या विकलांगता के		अनुभव
	अनुसार		_
1	2	3	4

कृपया ऐसे अन्य पेशों की सूची प्रदान करें जिनके संबंध में इस सरकारी प्रतिष्ठान को उपयुक्त आवेदक पाने में किसी प्रकार की समस्या आई हो।

$\sim$ $^{\prime}$	`	
ानयाक्ता	क	हस्ताक्षर

दन क	
प्रति,	
रोजगार कार्यालय	

नोट:— यह रिटर्न 31 मार्च / 30 सितम्बर को समाप्त हुई छमाही के लिये है एवं सम्बंधित छमाही की समाप्ति के तीस दिन के अंदर स्थानीय रोजगार कार्यालय को सौंप दिया जाएगा।

# फॉर्म—II (विकलांगजन नियोक्ता का रिटर्न)

(दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 का नियम 17 (1) तथा दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2017 का नियम 13(1) देखें)

व्यावसायिक	रिटर्न	दो	वर्ष	में	एक	बार	स्थानीय	विशेष	रोजगार	कार्यालय	में	जमा	किया	जाना	है ।

नियोक्ता का नाम एवं पता —————	
व्यवसाय का प्रकार	
(अपनी प्रधान गतिविधि के रूप में सरकारी	प्रतिष्ठान क्या करता है इसका उल्लेख करें

- 1. सरकारी प्रतिष्ठान के वेतन रजिस्टर पर दिनांक (तिथि का उल्लेख करें) ....... को व्यक्तियों की कुल संख्या (आंकड़े में हर वह व्यक्ति सम्मिलित होना चाहिये जिसका पारिश्रमिक अथवा वेतन सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा दिया जाता हो) (पुरुष विकलांगजन एवं महिला विकलांगजन की संख्या अलग–अलग दी जी सकती है)।
- 2. सभी कर्मचारियों का पेशेगत वर्गीकरण जैसा कि ऊपर बिंदु—1 में दिया है । (कृपया प्रत्येक पेशे में कर्मचारियों की संख्या का नीचे अलग—अलग उल्लेख करें)

यम भाष जलान जलान	,			
व्यवसाय		की संख्या		
सही शब्द का प्रयोग	विकलांग पुरुष	विकलांग महिलाएं	कुल	अभ्युक्ति
करें।				
जैसे इंजीनियर				
(मैकेनिकल);				
शिक्षक				कृपया प्रत्येक व्यवसाय
(गृह / विज्ञान);				में यथा संभव रिक्तियों
ड्यूटी पर अधिकारी				की सही संख्या
(बीमांकिक);				निर्दिष्ट करें, जो
सहायक निदेशक				सेवानिवृत्ति के कारण
(धातुकर्म)				अगले कैलेंडर वर्ष में
वैज्ञानिक सहायक				आपके द्वारा भरे जाने
(कैमिस्ट), अनुसंधान				की संभावना हो।
अधिकारी (अर्थशास्त्री);				
प्रशिक्षक (कार्पेन्टर);				
सुपरवाइजर (दर्जी);				
फिटर (आंतरिक दहन				
इंजन);				
निरीक्षक				
सैनिट्रेरी); अधीक्षक				
कार्यालय प्रशिक्षु				
इलेक्ट्रीशियन)।				
कुल				

तिथि	नियोक्ता के हस्ताक्षर						
प्रति, रोजगार कार्यालय							
(कृपया यहां अपने स्थानीय विशेष रोजगार कार्यालय का पता भरें	)						
नोटः आइटम संख्या–2 के अंतर्गत कॉलम 5 का कुल योग आइट							

# फॉर्म—III (विकलांगजन नियोक्ता का रिटर्न) (दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 का नियम 18 तथा दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2017 का नियम 14 देखें)

नियोक्ता का नाम एवं	पता
चाहे – प्र	धान कार्यालय
	ाखा कार्यालय
कामकाज का प्रकार	⁄ मख्य गतिविधि

सरकारी प्रतिष्ठान के वेतन रजिस्टर पर वेतनभोगी व्यक्तियों की कुल संख्या (आंकड़ों में हर वह व्यक्ति सम्मिलित होना चाहिये जिसका पारिश्रमिक अथवा वेतन सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा दिया जाता हो)।

सरकारी प्रतिष्ठान के वेतन रजिस्टर पर वेतनभोगी विकलांगजनों (विकलांगता के प्रकार के अनुसार) की कुल संख्या। (आंकड़ों में हर वह विकलांगजन सम्मिलित होना चाहिये जिसका पारिश्रमिक अथवा वेतन सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा दिया जाता हो)।

तिथि.....

(क). सभी कर्मचारियों का पेशेगत वर्गीकरण जैसा कि ऊपर बिंदु—1 में दिया है। (कृपया प्रत्येक पेशे में कर्मचारियों की संख्या का नीचे अलग—अलग उल्लेख करें)

व्यवसाय	कर्मचारियों	की संख्या		
सही शब्द का प्रयोग करें	विकलांग पुरुष	विकलांग महिलाएं	कुल	
जैसे इंजीनियर (मैकेनिकल);				कृपया प्रत्येक व्यवसाय में
शिक्षक (गृह / विज्ञान);				यथा संभव रिक्तियों की सही संख्या निर्दिष्ट करें,
ड्यूटी पर अधिकारी (बीमांकिक);				जो सेवानिवृत्ति के कारण अगले कैलेंडर वर्ष में
सहायक निदेशक (धातुकर्म)				आपके द्वारा भरे जाने की संभावना हो।
वैज्ञानिक सहायक (कैमिस्ट), अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्री);				
प्रशिक्षक (कार्पेन्टर); कुल				

- (ख). आधे वर्ष के दौरान यदि रोजगार में बढ़त अथवा कमी 5% से अधिक है तो कृपया रोजगार में इस बढ़त अथवा कमी को इंगित करें......
- 2. **रिक्तियां** :ऐसी रिक्तियां जो प्रतिमाह मौजूदा न्यूनतम वेतन के अनुरूप पारिश्रमिक वाली एवं छह माह से अधिक की कालावधि वाली हों।
- (क). आधे वर्ष के दौरान पैदा एवं अधिसूचित हुई रिक्तियों की संख्या एवं आधे वर्ष के दौरान भरे गए पद

अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों की संख्या								
सृजित	अधिसूचित		भरी गई	स्रोत (उस स्रोत का उल्लेख करें जहां से भरी गई है)				
	स्थानीय विशेष रोजगार कार्यालय	सामान्य रोज़गार कार्यालय						
1	2	3	4	5				
कुल								

(ख). आलोच्य छ (क) 2 3. कार्मिकों की व उपयुक्त आवेदकों की अ	। <sub>ग</sub> मी			को	अधिसूचित	न	करने	के	कारण	देखें	ऊपर
ऱ्यवसाय का नाम अथवा पदों के नाम			रिक्तियों / पदों अनिवार्य			वश्यक	 जनहीं				
1. 2			3.		4.						
——————— कृपया ऐसे अन्य पेशों व समस्या आई हो ।	 की सूची प्रदा	 न करें जिन	के संबंध में इर	न सरका		 ਨੀ ਤਾ	ग्युक्त आ	 वेदक	पाने में वि	केसी प्रक	गर की

नियोक्ता के हस्ताक्षर

# फॉर्म—IV

# विकलांगजनों द्वारा विकलांगता का प्रमाण पत्र पाने के लिये आवेदन

(दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 का नियम 24(1) तथा दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2017 का नियम 17(1) देखें)

(1)न	म					
-		(उपनाम)	(प्रथम ना	म)	(मध्य नाम)	
(2)	पिता का नामः			माता का ना	म	
(3)	जन्मतिथिः		/			
		(तिथि)		(माह)	(वर्ष)	
(4)	आवेदन के स	ामय आयुः			वर्ष	
(5) (6)	लिंगः पुरुष / पताः	महिला / किन्न	₹			
(ক)	स्थायी पता		(ख)	वर्तमान पता (	अर्थात संवाद के लिए)	
(ग)	वर्तमान पते प	गर जब से रह	रहे हैं वह	अवधि		
(7)	शैक्षिक स्थिति	ो (जहां लागू ह	हो उस पर	निशान लगाएं)		
	(	i)	रनातकोत्त	र		
	(	(ii)	स्नातक			
	(	iii)	डिप्लोमा			
	(	iv)	उच्च माध्य	यमिक		
	(	(v)	माध्यमिक			
	(	(vi)	उच्च प्राथ	मिक		
	(	vii)	प्राथमिक			
	(	viii)	गैर–साक्षर	₹		
(8)	व्यवसाय			_		
(9)	पहचान के चि	व्रेन्ह ( <b>i</b> )			_ (ii)	<u> </u>
(10) (11)	विकलांगता व					
(12)		ाने पूर्व में कभी तो विवरण दें		ा प्रमाण पत्र व	हे लिये आवेदन किया है	(हां / नहं
(क)	किस प्राधिका	री एवं किस जि	जेले में आवे	दन किया		
(ख)	आवेदन का प	परिणाम				

(	(13	) क्या	पर्व में	आपको	विकलांगता	प्रमाण	पत्र	जारी	किया	गया	욹?	यदि	हां :	तो	सत्यापित	प्रति	लगाएं
- 1	(10	/	7	911 1 971	199/011 1011	N. II I	1 /1	VII (1	17/71	1 71	Ų.	717	C I	<b>VII</b>	1117111111	71111	VI 11.7

घोषणाः मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। इसमें कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपायी या गलत बयां नहीं की गई है। मैं भली भांति जानता हूं कि आवेदन में किसी भी गलत बयानी का पता चलने पर मुझे ऐसे सभी लाभ वापस करने होंगे जो इस तरह के प्रमाण पत्र से मुझे मिले होंगे और साथ ही मेरे विरुद्ध कानुनी कार्रवाई भी की जाएगी।

( विकलांगजन के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा उसके कानूनी अभिभावक के, यदि व्यक्ति बौद्धिक अक्षमता / स्वलीनता / प्रमस्तिष्क पक्षाघात एवं एकाधिक विकलांगता इत्यादि से पीडित है)

तिथि:

स्थानः

# अनुलग्नक:

- 1. घर के पते का प्रमाण (प्रयोज्य होने पर निशान लगाएं)
- (क) राशन कार्ड,
- (ख) मतदाता पहचान पत्र,
- (ग) चालक अनुज्ञापत्र,
- (घ) बैंक पासबुक,
- (ङ) स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड),
- (च) पासपोर्ट,
- (छ) आवेदक के पते का उल्लेख करता टेलीफोन, बिजली, पानी एवं अन्य किसी उपयोज्यता का बिल
- (ज) पंचायत, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, कोई भी राजपत्रित अधिकारी, अथवा संबंधित पटवारी अथवा सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यक द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र,
- (झ) यदि विकलांगजनों, निराश्रितों, मनोरोगियों एवं अन्य प्रकार की विकलांगता के लिये निर्मित किसी आवासीय संस्थान में रहता हो तो उस संस्थान के संचालक द्वारा प्रदान किया गया निवास प्रमाण पत्र
- (ञ) आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या, यदि कोई है।
- 2. हाल ही में लिये गए दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ

(केवल कार्यालय के उपयोग हेतु)

तिथिः

स्थान:

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

# फॉर्म–V

# विकलांगता प्रमाण पत्र

# (अंग-विच्छेदन अथवा भुजाओं में पूर्ण स्थायी पक्षाघात होने की स्थिति में या बौनेपन एवं अंधेपन की स्थिति में)

(दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 का नियम 26(1) तथा दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2017 का नियम 18(1) देखें) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले मेडिकल प्राधिकरण का नाम एवं पता)

> पासपोर्ट आकार का हाल ही का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (विकलांजन का केवल चेहरा दर्शाते हुए)

प्रमाण पत्र संख्या.		तिथि:	
यह प्रमाणित किया जाता है	कि मैंने श्री/श्रीमती/कुम	ारी	पुत्र/पत्नी/पुत्री
श्री जन्मति	ाथि (दिन/माह/वर्ष)	आयृ	
वर्ष, पुरुष / महिला	पंजीकरण संख्या		. स्थायी निवासी मकान संख्या
वार्ड/ग्रा	म/गली	पोस्ट ऑफिस	
जिला		, जिनका फोटो ऊपर	लगाया गया है, का सावधानी
(क) वह निम्नांकित विकलांगता से र	मंबंधित है:		
<ul> <li>गति संबंधी विकलांगता</li> <li>बौनापन</li> <li>अंधापन</li> <li>(कृपया प्रयोज्य पर निशान लग</li> </ul>	ाएं)		
(ख) उनके मामले में निदान यह है .			
(क) उक्त व्यक्ति में	%ः (संख्या में) प्रतिः	शत	(शब्दों में) दिशानिर्देशों के
अनुसार शरीर के भा दिशानिर्देश जारी करने की तिथि उ		ांगता/बौनापन/अंधापन	विद्यमान है। ( संख्या एवं
2. आवेदक ने निवास प्रमाण पत्र व			
दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	जारी करने वा	ले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित मेडिकल प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान जिसके समर्थन में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है प्रमाण पत्र संख्या.

# फॉर्म-VI विकलांगता प्रमाण पत्र

# (एक से अधिक प्रकार की विकलांगता होने की स्थितियों में)

(दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 का नियम 26(1) तथा दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2017 का नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले मेडिकल प्राधिकरण का नाम एवं पता)

पासपोर्ट आकार का हाल ही का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (विकलांजन का केवल चेहरा दर्शाते हुए)

तिथिः

यह प्रमाणित	त किया जाता है	कि मैंने श्री/श्रीमती/व्	ुमारी	पुत्र/पत्नी/पुत्री
श्री	जन्मा	तेथि (दिन/माह/वर्ष)		आयु
				स्थायी निवासी मकान संख्या
	वार्ड/ग	ग्रम∕गली	पोस्ट	ऑफिस
			_ जिनका फोटो	ऊपर लगाया गया है, का सावधानी पूर्वक
परादाण कर ।	त्रया ह एवं म संतुष्ट हूं।	р.		
तिथि उल्लिख	वत की जानी है) उनकी		गंगता का निम्नलि	देशानिर्देशों की संख्या एवं जारी करने की गिखत विकलांगताओं के अनुसार मूल्यांकन
क्रम संख्या	विकलांगता	शरीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी शारीरिक खराबी / मानसिक विकलांगता (: में)
1.	गति संबंधी विकलांगता	@		, ,
2.	पेशीय अपविकास			
3.	ठीक हुआ कुष्ट			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्क पक्षाघात			
6.	एसिड अटैक पीड़ित			
7.	दृष्टिमांद्य	#		
8.	दृष्टिहीनता	#		
9.	बधिर	\$		
10.	ऊंचा सुनने वाला	\$		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी विकलांगता			

(दिन)

12.	बौद्धिक अक्षमता				
13.	विशिष्ट सीखने संबंधी अक्षमता				
14.	स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार				
15.	मानसिक विकार				
16.	तंत्रिका संबंधी जीर्णरोग				
17.	एकाधिक काठिन्य				
18.	पार्किंसन रोग				
19.	हीमोफीलिया				
20.	थैलासीमिया				
21.	सिकल सेल रोग				
(ख) उपरोक्त प्रकाश में दिशा—निर्देशों के अनुरूप ( संख्या एवं दिशा—निर्देशों को जारी करने की तिथि उल्लिखित की जानी है) इनकी संपूर्ण शारीरिक खराबी इस प्रकार है:— संख्या में : प्रतिशत शब्दों में : प्रतिशत					
2. यह स्थिति क्रमिक/अक्रमिक/आगे बढ़ने वाली/ आगे नहीं बढ़ने वाली है ।					
3. विकलांगता का पुनराकलन है:					
(i). आवश्यक नहीं अथवा					

@ उदाहरणः बायां/ दायां/ दोनों हाथ/पैर

# उदाहरणः एक आंख

जारी किया जा रहा है

\$ उदाहरणः बायां/दायां/ दोनों कान

4.आवेदक ने निवास प्रमाण पत्र के रूप में निम्न दस्तावेज जमा किये हैं :--

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(ii) इसकी अनुशंसा की जाती है / ...... वर्ष..... माह बाद, एवं इसलिये यह प्रमाण पत्र...... तक मान्य होगा ।

5. मेडिकल प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर ।

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर
उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान जिसके लिये विकलांगता का प्रमाण पत्र		

# फॉर्म– VII विकलांगता प्रमाण पत्र (फॉर्म V एवं VI में वर्णित मामलों के इतर मामलों में)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले मेडिकल प्राधिकरण का नाम एवं पता)

(दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 का नियम 26(1) तथा दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2017 का नियम 18(1) देखें)

> पासपोर्ट आकार का ही का हाल अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (विकलांजन का केवल दर्शाते हुए)

प्रमाण पत्र संख्या.		तिथिः				
यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी/पुत्र/पत्नी/पुत्री श्रीजन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष) वर्ष, पुरुष/महिला पंजीकरण संख्या				 लिया है, एवं मैं ा एवं जारी करने		
क्रम संख्या	विकलांगता	शरीर भाग	का प्रभावित	निदान	स्थायी खराबी विकलांगता	
1	गति विकलांगता	@				,
2	पेशीय अपविकास					
3	ठीक हुआ कुष्ट					
4	प्रमस्तिष्क पक्षाघात					
5	एसिड अटैक पीड़ित					
6	दृष्टिमांद्य	#				
7	अकर्ण	\$				
8	ऊंचा सुनने वाला	\$				
9	वाक एवं भाषा संबंधी विकलांगता					
10	बौद्धिक विकलांगता					
11	विशिष्ट सीखने संबंधी अक्षमता					
12	स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार					
13	मानसिक विकार					
14	तंत्रिका संबंधी जीर्णरोग					
15	एकाधिक काठिन्य					
16	पार्किसन रोग					

17	हीमोफीलिया		
18	थैलासीमिया		
19	सिकल सेल रोग		

(कृपया जो विकलांगता प्रयोज्य नहीं हैं उसको हटा दें)

- 2. यह स्थिति क्रमिक / अक्रमिक / आगे बढने वाली / आगे नहीं बढने वाली है ।
- 3. विकलांगता का पुनराकलन है:
- (i). आवश्यक नहीं

अथवा

- (ii) इसकी अनुशंसा की जाती है / ...... वर्ष..... माह बाद, एवं इसलिये यह प्रमाण पत्र ....... तक मान्य होगा । (दिन) (माह) (वर्ष)
- @ उदाहरणः बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर
- # उदाहरणः एक आंख
- \$ उदाहरणः बायां / दायां / दोनों कान

4.आवेदक ने निवास प्रमाण पत्र के रूप में निम्न दस्तावेज जमा किये हैं :--

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित मेडिकल प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरी) (नाम एवं मुहर)

> प्रति हस्ताक्षर कृत [मुख्य चिकित्साधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रधान अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर /अंगूठे का निशान एवं मुहर, यदि प्रमाण पत्र ऐसे मेडिकल प्राधिकरण की ओर से जारी किया जा रहा है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, (मुहर समेत)}

उस व्यक्ति की छवि जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है

नोट:— यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे मेडिकल प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो यह केवल जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा।

# फॉर्म–VIII

# [विकलांगता प्रमाण पत्र के आवेदन के अस्वीकृत होने की सूचना]

[(दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 का नियम 26(4) तथा दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2017 का नियम 18(4) देखें|

संख्याः		तिथि:
प्रति,		
	ता प्रमाण पत्र के लिये का नाम एवं पता}	
विषयः वि	कलांगता प्रमाण पत्र के आवेदन का अस्वीकरण	
श्रीमान/सु	श्री,	
1. करने के	दिनांक को निम्न विकलांगता लिये कृपया आपके आवेदन के संदर्भ में सूचित किया जाता है किः	.के बारे में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी
2. गया, है: (i) (ii) (iii)	उपरोक्त आवेदन के आधार पर अधोहस्ताक्षरी/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आपका ि एवं मुझे यह जानकारी देते हुए खेद है कि निम्न कारणों से आपके पक्ष में विकल	
3. प्रस्तुत हो	यदि आवेदन अस्वीकार होने के कारण आप व्यथित हैं तो आपके सकते हैं।	समक्ष इस निर्णय की समीक्षा के लिये
		भवदीय
	(अधिसूचित मेरि	डेकल प्राधिकरण का प्राधिकृत हस्ताक्षरी} (नाम एवं मुहर)

# DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

# **NOTIFICATION**

Delhi, the 27th December, 2018

**F. No. 82/1153/RPwDAct2016/AD-III/ DSW/2017/33121.**—WHEREAS a draft of the Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018 was published as required by sub-section (1) of section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) in the Delhi Gazette, Extraordinary, dated the 15th May, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on the  $22^{nd}$  May, 2018;

AND WHEREAS objections and suggestions received from the public on the said draft rules were considered by the Government of National Capital of Delhi;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), read with notification number S.O.3870 (E) dated 12<sup>th</sup> December, 2017 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules, namely:-

### **CHAPTER-I**

### **PRELIMINARY**

- 1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Act" means the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016);
  - (b) "Certificate" means a certificate of disability issued by a certifying authority referred to in sub-section (1) of section 57 of the Act;
  - (c) "Certificate of registration" means a certificate of registration issued by the competent authority under section 50 of the Act;
  - (d) "Form" means a form appended to these rules; and
  - (e) "Section" means the section of the Act.
  - (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

## **CHAPTER II**

### RIGHTS AND ENTITLEMENTS

- **3. Establishment not to discriminate on the ground of disability.-** (1) The head of the establishment shall ensure that the provision of sub-section (3) of section 3 of the Act are not misused to deny any right or benefit to persons with disabilities covered under the Act.
- (2) On receipt of a complaint from an aggrieved person regarding discrimination on the ground of disability, the head of the private establishment employing twenty or more persons or a Government establishment shall -
  - (a) initiate action in accordance with the provisions of the Act; or
  - (b) inform the aggrieved person in writing as to how the impugned act or omission is a proportionate means of achieving a legitimate aim.
- (3) If the aggrieved person submits a complaint to the State Commissioner for Persons with Disabilities, the complaint shall be disposed of within a period of thirty days:
  - Provided that in exceptional cases, keeping in view the urgency of the subject matter of the complaint, such a complaint may be disposed off in a time period of less than thirty days, as decided by the State Commissioner.
- (4) No establishment shall compel a person with disability to partly or fully pay the costs incurred for reasonable accommodation.
- **4. State Committee for Research on Disability.-** (1) The Committee for Research on Disability at the State Level shall consist of the following members, namely:-
  - (a) An eminent person having vast experience in the field of science and Medical research to be nominated by the Government of National Capital Territory of Delhi, ex officio-Chairperson;
  - (b) Representative from the Directorate of Health Services, Government of National Capital Territory of Delhi Member;
  - (c) Representative from the Delhi Medical Council, preferably a doctor with disability-Member;
  - (d) Five members as representatives from a registered state level organization representing each of the five groups of specified disabilities in the Schedule of the Act , to be nominated by the Government of National Capital Territory of Delhi Members:
    - Provided that at least one representative of the registered organizations is a woman;
  - (e) Representative from an autonomous institution in the field of Disability under the Government of National Capital Territory of Delhi Member;
  - (f) Director of Department of Social Welfare in the Government of National Capital Territory of Delhi Member Secretary;

- (2) The Chairperson may co-opt any expert in the subject matter of disability in which the research is proposed.
- (3) The term of office of the nominated members shall be for a period of three years from the date on which they enter upon office but the nominated members shall be eligible for re-nomination for one more term.
- (4) One half of the members shall constitute the quorum of the meeting.
- (5) The non-official members and special invitees shall be entitled for travelling allowance and dearness allowance as admissible to a Group A or equivalent officer of the Government of National Capital Territory of Delhi.
- (6) The Committee shall be provided with such clerical and other staff as the Government of National Capital Territory of Delhi may consider necessary.
- **5. Person with disability not to be a subject of research.-** No person with disability shall be considered to be a subject of research except when the research involves physical impact on his body.
- **6. Procedure to be followed by Executive Magistrate.-** For the purposes of dealing with the complaints under section 7 of the Act, the Executive Magistrate shall follow the procedure provided in sections 133 to 143 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

## **CHAPTER-III**

### LIMITED GUARDIANSHIP

- 7. Limited Guardianship.- (1) A District Court on its own, or on an application filed by the person with disability, or through a blood relative or filed on behalf of the person with disability through a Government organization or a Registered organization under whose care the person with disability is residing, shall grant the support of a limited guardian to take a legally binding decision on behalf of the person with disability in consultation with such person.
  - (2) The District Court, before granting the support of a limited guardian for the person with disability shall satisfy itself that such a person is not in a position to take legally binding decision on one's own.
  - (3) The District Court shall hold hearings to determine the legal capacity of the person with disabilities; During such hearings, the person with disabilities shall be present. If required, expert opinion shall be sought by the court to determine the legal capacity of the person with disabilities.
  - (4) The validity period for limited guardianship as appointed under sub-rule (1) shall be initially for a period of three years which can be further extended by the District Court as the case may be:
    - Provided that the District Court shall follow the same procedure while extending the validity of the limited guardianship as followed while granting the initial guardianship.
  - (5) The District Court shall take a decision preferably within a period of one month from the date of receipt of an application regarding grant of limited guardianship or from the date of coming to its notice of the need of such limited guardianship: Provided that the consent of the person to act as a limited guardian shall also be obtained before grant of such limited guardianship:
    - Provided that the District Court shall follow the same procedure while extending the validity of the limited guardianship as followed while granting the initial guardianship.
  - (6) While granting the support of such limited guardianship, the Court shall consider a suitable person to be appointed as a limited guardian in the following preference of merit, namely:-
    - (a) The parents or adult children of the person with disability;
    - (b) Immediate brother or sister;
    - (c) Other Blood relatives or care givers or prominent personality of the locality; and
    - (d) In case the family of the person with disability is not known, Superintendent of the Government Institution or In charge of the Registered organization under whose care the person with disability is residing, may be considered.
  - (7) Only those individuals who are over the age of 18 years and who have not been previously convicted of any cognizable offence as defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974) shall be appointed as a limited Guardian.
  - (8) The limited guardian appointed under sub-rule (1) shall consult the person with disability in all matters before

taking any legally binding decisions on behalf of the person with disability.

- (9) The appointed limited guardian shall ensure that the legally binding decisions taken on behalf of the person with disability are in the interest of the person with disability.
- **8. Appellate Authority. -** The Appellate authority to appeal against any decision of the District Court for appointment of limited Guardian under sub- rule (1) of rule 7, shall be the High Court.
- **9. Designated authority.-** The Dy. Commissioners of the Department of Revenue, GNCT of Delhi shall be the designated authority under sub-section (1) of section 15 of the Act to take measures for creating social awareness to support persons with disabilities in exercising their legal capacity.

## **CHAPTER IV**

## **EDUCATION**

- **10. Appointment of Nodal Officer.-** A nodal officer shall be designated in the District Education Office of the Department of Education, each zone of Local Bodies and in Department of Social Welfare within three months of the notification of these rules, to deal with all matters relating to admission of children with disabilities and the facilities to be provided to them in schools in accordance with the provisions of sections 16 and 31 of the Act.
- 11. Terms and conditions of recognition of educational institutions.- (1) The terms and conditions of grant of recognition to the educational institutions by the competent authority in the State may include the requirements to comply with the provisions of section 16 of the Act.
  - (2) The Government of National Capital Territory of Delhi shall develop norms for recognition of special schools run by the Government and private institutions within one year of the notification of the rules.
  - (3) The State Council of Educational Research and Training, Government of National Capital Territory of Delhi shall develop training courses and also facilitate training of teachers in basic Braille ,sign language and special education within one year of the notification of the rules.
  - (4) The State Council of Educational Research and Training, Government of National Capital Territory of Delhi shall take steps to develop the syllabus and learning materials, including material in braille, audio and visual formats, that are required for imparting education to children with special needs, within six months of the notification of these rules.

# CHAPTER V

## EMPLOYMENT AND VACANCIES FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES

- **12. Manner of publication of equal opportunity policy.-** (1) Every establishment shall publish equal opportunity policy for persons with disabilities within a period of six months from the notification of these rules.
- (2) The establishment shall display the equal opportunity policy preferably on their website, failing which, at conspicuous places in their premises.
- (3) The equal opportunity policy of a private establishment having twenty or more employees and the Government establishments shall inter alia, contain the following, namely:-
  - (a) Facilities and amenities to be provided to the persons with disabilities to enable them to effectively discharge their duties in the establishment;
  - (b) list of posts identified suitable for persons with disabilities in the establishment;
  - (c) the manner of selection of persons with disabilities for various posts, post-recruitment and pre-promotion training, preference in transfer and posting, special leave, preference in allotment of residential accommodation if any, and other facilities;
  - (d) provisions for assistive devices, barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities;
  - (e) appointment of liaison officer by the establishment to look after the recruitment of persons with disabilities and provisions of facilities and amenities for such employees.
- (4) The equal opportunity policy of the private establishment having less than twenty employees shall contain facilities and amenities to be provided to the persons with disabilities to enable them to effectively discharge their duties in the establishment.

- **13. Form and manner of maintaining records by the establishments.-** (1) Every establishment covered under sub-rule (3) of rule 12, shall maintain records containing the following particulars, namely:-
  - (a) the number of persons with disabilities who are employed and the date from when they are employed;
  - (b) the name, gender and address of persons with disabilities;
  - (c) the nature of disability of such persons;
  - (d) the nature of work being rendered by such employed person with disability; and
  - (e) the kind of facilities being provided to such persons with disabilities.
- (2) Every establishment shall produce records maintained under these rules, to the District level Committee on Disability for inspection on demand and shall supply such information which may be required for the purpose of ascertaining whether the provisions have been complied with.
- **14. Manner of maintenance of register of complaints by the Government establishments.-** (1) Every Government establishment shall appoint an officer not below the rank of a Gazetted Officer as Grievance Redressal Officer:

Provided that where it is not possible to appoint any Gazetted Officer, the Government establishment may appoint the senior most Officers as a Grievance Redressal Officer.

- (2) The Grievance Redressal Officer shall maintain a register of complaints of persons with disabilities with the following particulars, namely:-
  - (a) date of complaint;
  - (b) name of complainant;
  - (c) name of the person who is enquiring the complaint;
  - (d) place of incident;
  - (e) the name of establishment or person against whom the complaint is made;
  - (f) gist of the complaint;
  - (g) documentary evidence, if any;
  - (h) date of disposal by the Grievance Redressal Officer;
  - (i) details of disposal of the appeal by the district level committee; and
  - (j) any other information.
- **15. Computation of vacancies.** (1) Every Government establishment shall take into account four percent of the total number of vacancies including vacancies arising in the identified and non-identified posts in the cadre strength in each group of posts, for the purpose of computation of vacancies for the persons with benchmark disabilities:

Provided that the reservation in promotion shall be in accordance with the instructions issued by the appropriate Government from time to time.

- (2) Every Government establishment shall maintain a vacancy based roster for the purpose of calculation of vacancies for persons with benchmark disabilities in the cadre strength as per the instructions issued by the appropriate Government from time to time.
- (3) While issuing advertisement to fill up vacancies, every Government establishment shall indicate the number of vacancies reserved for each class of persons with benchmark disabilities in accordance with the provisions of section 34 of the Act.
- (4) The reservation for persons with disabilities in accordance with the provisions of section 34 of the Act shall be horizontal and the vacancies for persons with benchmark disabilities shall be maintained as a separate class.
- **16. Interchange of vacancies.-** The Government establishment shall interchange vacancies in accordance with the provisions of section 34 of the Act, only if due process of recruitment to fill up the vacancies reserved for persons with benchmark disabilities has been complied with.
- **17. Submission of Returns on Vacancies.-** (1) Every Government establishment shall furnish to the local special employment exchange, returns in Form I once in every six months for the period from 1st April to 30th September and from 1st October to 31st March, and in Form -II once in every two years.
- (2) The six monthly return shall be furnished within thirty days of the respective dates which is, 31st March and, 30th September of every financial year.

- (3) The two yearly return shall be furnished within thirty days of the closing of every alternate financial year:

  Provided that the first two yearly returns shall be furnished for the financial year closing on 31st March, 2019.
- **18. Form in which record to be kept by an employer.-** Every Government establishment shall maintain the record of employees with disabilities in Form III.

### **CHAPTER VI**

## ASSISTANCE TO PERSONS WITH HIGH SUPPORT NEEDS

- 19. (1) Any person with bench mark disability who is having High support needs or any person or organization on behalf of such person with bench mark disability may approach the District Social Welfare Officer of the district in which he ordinarily resides, who shall refer the case to the assessment board consisting of such members as may be prescribed by the Central Government.
  - (2) The Government of National Capital Territory of Delhi shall frame schemes to provide assistance to persons with bench mark disabilities having High Support needs, within six months of the notification of these rules wherein clear time limits are set for provision of the assistance:

Provided that the schemes referred above, shall be framed after the Central Government prescribes the constitution of the Assessment Board and the manner of assessment.

## **CHAPTER VII**

# **ACCESSIBILITY**

- **20. Rules for Accessibility.-** (1) Every establishment shall comply with the following standards relating to physical environment, transport and information and communication technology, namely:-
  - (a) standard for public buildings as specified in the Harmonised Guidelines and Space Standards for Barrier Free Built Environment for Persons with Disabilities and Elderly Persons as issued by the Government of India, Ministry of Urban Development in March, 2016;
  - (b) standard for Bus Body Code for transportation system as notified by the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, vide notification number G.S.R. 895(E), dated the 20th September, 2016;
  - (c) Information and Communication Technology,
    - (i) website standard as specified in the guidelines for Indian Government websites, as adopted by Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India;
    - (ii) documents to be placed on websites shall be in Electronic Publication (ePUB) or Optical Character Reader (OCR) based pdf format:
- (2) The respective Departments shall ensure compliance of the standards of accessibility specified under this rule through the concerned domain regulators or otherwise.

## **CHAPTER VIII**

# **Certificate of Registration of Institution**

- **21.** The Joint Director (Technical) in the Department of Social Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi shall be the competent authority under section 49 for the purpose of registration of Institutions for Persons with Disabilities and grants to such Institutions:
  - Provided that in case no person is occupying the post of Joint Director (Technical), the competent authority, shall be the person occupying the post next in the hierarchy.
- **22. Application for, and grant of certificate of registration.-** (1) A person desirous of establishing or maintaining an institution for person with disabilities may make an application in Form A to the competent authority referred to in rule 21.
  - (2) Every application made under sub-rule (1) shall be accompanied with,
    - (a) documentary evidence of work or proposed work in the area of disability;
    - (b) the Constitution or bye laws or regulations governing the institution;
    - (c) audited statement, annual report and details of grants received if any in the last three years from the

Government, preceding the date of application;

- (d) a statement regarding total number of persons employed in the Institution along with their respective duties;
- (e) the number of professionals employed in the Institution;
- (f) a statement regarding qualifications of the professionals employed by the Institution; and
- (g) the proof of residence of the applicant.
- (3) Every application made under sub rule (1) shall comply with the following requirements in respect of the concerned institution, namely:-
  - (a) that the institution is registered under the Indian Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860)/Indian Trust Act and a copy of such registration certificate/trust deed along with the byelaws and memorandum of association of the society shall accompany the application.
  - (b) that the institution has not been running to profit any individual or a body of individuals;
  - (c) that the institution has employed professionals registered with the Rehabilitation Council of India to cater to the special needs of Persons with disabilities;
  - (d) that the institution has adequate teaching and learning material in accessible format for the persons with disabilities;
  - (e) that the institution is working or proposing to work in the field of rehabilitation of persons with disabilities on the date on which the application is made.
- (4) The certificate of registration under this rule, unless revoked under section 52 of the Act, shall remain in force for a period of five years from the date on which it is granted or renewed.
- (5) An application for the renewal of certificate of registration shall, be made in the same manner as the application for grant of certificate under sub-rule (1) accompanied with the previous certificate of registration and a statement that the applicant is applying for renewal of the certificate so accompanied:

Provided that such application shall be made before sixty days of the expiry of the validity of such certificate:

Provided further that the competent authority may consider application for renewal of the certificate of registration after 60 days but not later than 120 days, if he is satisfied that sufficient reasons have been provided for such delay.

- (6) If the application for renewal of certificate of registration is made before its expiry as specified in the proviso to sub-rule (5), the certificate of registration shall continue to be in force until orders are passed on the application and the certificate of registration shall be deemed to have expired if application for its renewal is not made within sixty days as specified in the said proviso.
- (7) Every application made under sub-rule (1) or sub rule (5), in which the competent authority referred to in subsection (1) of section 51 of the Act, is satisfied that the requirements for grant of certificate of registration under the Act and these rules have been complied with, shall be disposed of by it within a period of ninety days thereafter.
- (8) Form of issue of Certificate of Registration, refusal and revocation.- (a) Upon making suitable enquires into the functioning of the organization and being satisfied that the organization can be registered under the provisions of section 51, the competent authority shall issue the Certificate of registration to the organization in Form–B.
- (b) The Competent authority may refuse to grant the certificate of Registration after suitable enquires and the same shall be communicated to the organization within a period of ninety days of its application for registration in Form C. Provided that such communication shall be preceded by the granting of opportunity to the applicant organisation to state its case before the competent authority on a date not later than 15 days from the date of issue of the letter intimating the grant of opportunity.
- (c) A certificate of Registration granted under section 51 of the Act may be revoked by the competent authority under provisions of sub-section (1) of section 52 of the Act and such revocation shall be communicated to the organization in Form –D.
- 23. Appeal against the order of competent authority.- Any person aggrieved by the order of the competent authority referred to in sub-section (1) of section 51 of the Act, refusing to grant a certificate of registration or revoking a certificate of registration may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal against that order to the Director, Social Welfare who shall function as appellate authority under sub-section (1) of section 53 of the Act. The Director, Social Welfare may, after such enquiry into the matter as is considered necessary and after giving the appellant an opportunity of hearings, make such order as deemed fit:

Provided that where an order is issued by the Director, Social Welfare, as the competent authority, any appeal against such order shall be heard and decided by the Secretary, Social Welfare.

### **CHAPTER IX**

### CERTIFICATE OF DISABILITY

- **24. Application for certificate of disability.-** (1) Any person with specified disability, may apply in Form -IV for a certificate of disability, and submit the application to,-
  - (a) a medical authority or any other notified competent authority to issue such a certificate in the district of residence of the applicant as mentioned in the proof of residence in the application; or
  - (b) the concerned medical authority in a government hospital where the person with specified disability may be undergoing or may have undergone treatment in connection with such disability:

Provided that where a person with disability is a minor or having intellectual disability or any other disability which renders the person with disability unfit or unable to make such an application, the application on behalf of the person with disability may be made by the legal guardian of such a person with disability or the authorized representative of a Government organization having the person with disability under its care or any organization registered under the Act having the person with disability under its care.

- (2) The application shall be accompanied by,-
  - (a) proof of residence;
  - (b) two recent passport size photographs; and
  - (c) Aadhaar number or aadhaar enrollment number, if any.
- **Note.-** No other proof of residence shall be demanded from the applicant who has aadhaar or aadhaar enrollment number.
- 25. The Department of Health and Family Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi shall notify the certifying authorities who shall be competent to issue a certificate of disability and the jurisdiction and terms and conditions subject to which the certifying authority shall perform its certification functions as per the provisions of sub- sections (1) and (2) of section 57 of the Act.
- **26. Issue of certificate of disability.-** (1) On receipt of an application under rule 24, the medical authority or any other notified competent authority shall, verify the information as provided by the applicant and shall assess the disability in terms of the relevant guidelines issued by the Central Government and after satisfying itself that the applicant is a person with disability, issue a certificate of disability in favor of the applicant in Form V, VI and VII, as the case may be.
- (2) The medical authority shall issue the certificate of disability within a month from the date of receipt of the application.
- (3) The medical authority shall, after due examination,-
  - (i) issue a permanent certificate of disability in cases where there are no chances of variation of disability over time in the degree of disability; or
  - (ii) issue a certificate of disability indicating the period of validity, in cases where there is any chance of variation over time in the degree of disability.
- (4) If an applicant is found ineligible for issue of certificate of disability, the medical authority shall convey the reasons to the applicant in writing under Form VIII within a period of one month from the date of receipt of the application.
- 27. Validity of Certificate issued under rule 26. A person to whom the certificate is issued under rule 26 shall be entitled to apply for all facilities, concessions and benefits admissible for persons with disabilities under schemes of the Government and of non-Governmental organizations funded by the Government.
- **28.** Validity of certificate of disability issued under the repealed Act.-The certificate of disability issued under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996) shall continue to be valid after commencement of the Act for the period specified therein.
- 29. Appeal against the decision of the authority issuing certificate of disability.- (1) Any person aggrieved with the decision of the certifying authority issuing the certificate of disability may within ninety days from the date of the decision, prefer an appeal to the appellate authority as notified by the Government of National Capital Territory of Delhi for the purpose under sub-section (1) of section 59 of the Act in the following manner:-

- (a) The appeal shall contain brief background and the grounds for making the appeal;
- (b) The appeal shall be accompanied by a copy of the order of rejection issued by the certifying authority:

Provided that where a person with disability is a minor or having any disability which renders the person with disability unfit to make such an appeal, the appeal on behalf of the person with disability may be made by his legal or limited guardian as the case may be.

- (2) On receipt of such an appeal, the appellate authority shall provide the appellant an opportunity to present the appellant's case and thereafter pass such reasoned and detailed order as it may deem appropriate.
- (3) Every appeal preferred under sub-rule (1) shall be decided as expeditiously as possible and not later than a period of sixty days from the date of receipt of the appeal.

#### CHAPTER X

### STATE ADVISORY BOARD

- **30.** Allowances for the Members of the State Advisory Board.- The non-official Members of the State Advisory Board on disability shall be paid an allowance of rupees two thousand per day for each day of the actual meetings of the said Board.
- 31. Notice of the Meeting.- (1) The meetings of the State Advisory Board on disability constituted under sub-section (1) of section 66 of the Act (hereinafter in this Chapter referred to as 'the Board') shall ordinarily be held in the office of the Minister in charge of the Department of Social Welfare on such dates as may be fixed by the Minister in charge of the Department of Social Welfare, being its Chairperson: Provided that it shall meet at least once in every six months.
  - (2) The Chairperson of the Board shall, upon the written request of not less than ten members of the Board, call a special meeting of the Board.
  - (3) Fifteen clear days □ notice of an ordinary meeting and five clear days' notice of a special meeting specifying the time and the place at which such meeting to be held and the business to be transacted thereat, shall be given by Member-Secretary of the Board to the members of the Board.
  - (4) Notice of a meeting may be given to the members of the Board by delivering the same to them by messenger or sending it by registered post to their respective last known places of residence or business or by email or in such other manner as the Chairperson of the Board may, in the circumstances of the case, thinks fit.
  - (5) No member of the Board shall be entitled to bring forward for the consideration of the meeting any matter of which the member has not given ten clear days' notice to the Member Secretary of the Board, unless permission is granted to the member to do so on the discretion of the Chairperson of the Board.
  - (6) The Board may adjourn its meeting from day to day or to any particular day as under:-
    - (a) Where a meeting of the Board is adjourned from day to day, notice of such adjourned meeting shall be given, to the members of the Board available at the place where the meeting which was adjourned was to be held and it shall not be necessary to give notice of the adjourned meeting to the rest of the members;
    - (b) Where a meeting of the Board is adjourned not from day to day but from the day on which the meeting is to be held to another date, notice of such meeting shall be given to all the members of the Board in the manner as specified in sub-rule(4).
- **32. Presiding officer.** The Chairperson of the Board shall preside at every meeting of the Board and in the absence of the Chairperson, the Vice-Chairperson thereof shall preside, but when both the Chairperson and the Vice-Chairperson of the Board are absent from any meeting, the members of the Board present shall elect one of the members to preside at that meeting.
- 33. Quorum.- (1) One-third of the total members of the Board shall from the quorum for any meeting.
  - (2) If at any time fixed for any meeting or during the course of any meeting less than one-third of the total members of the Board are present, the Chairperson thereof may adjourn the meeting to such hours on the following or on some other future date as may be fixed by the Chairperson.
  - (3) No quorum shall be necessary for the adjourned meeting of the Board.
  - (4) No matter which had not been on the agenda of the ordinary or the special meeting of the Board, as the case may be, shall be discussed at its adjourned meeting.

- (5) (a) Where a meeting of the Board is adjourned under sub-rule(2) for want of quorum to the following day, notice of such adjourned meeting shall be given to the members of the Board available at the place where the meeting which was adjourned was to be held and it shall not be necessary to give notice of the adjourned meeting to other members; and
  - (b) Where a meeting of the Board is adjourned under sub-rule(2) for want of quorum not to the following day, but on a date with sufficient gap, notice of such adjourned meeting shall be given to all the members of the Board in the manner as specified in sub-rule (4) of rule 31.
- **34. Minutes.-** (1) Record shall be kept of the names of all the members of the Board who attended the meeting of the Board and of the proceedings at the meetings in a book to be maintained for that purpose by the Member-Secretary of the Board.
  - (2) The minutes of the previous meeting of the Board shall be read at the beginning of every succeeding meeting, and shall be confirmed and signed by the presiding officer at such meeting.
  - (3) The proceedings shall be open to inspection by any member of the Board at the office of the Member-Secretary of the Board during office hours.
- **35.** Business to be transacted at meeting.- Except with the permission of the presiding officer, no business which is not entered in the agenda or of which notice has not been given by a member under sub-rule (5) of rule 31 shall be transacted at any meeting of the Board.
- **36. Agenda for the meeting of the State Advisory Board.-** At any meeting of the Board, business shall be transacted in the order in which it is entered in the agenda, unless otherwise resolved in the meeting with the permission of the presiding officer:
  - Provided that either at the beginning of the meeting of the Board or after the conclusion of the debate on a motion during the meeting, the presiding officer or a member of the Board may suggest a change in the order of business as entered in the agenda and if the Chairperson of the Board agrees, such a change shall take place.
- **37. Decision by majority.-** All questions considered at a meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members of the Board present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson of the Board, or in the absence of the Chairperson, the Vice-Chairperson of the Board or in the absence of both the Member presiding at the meeting, as the case may be, shall have a second or casting vote.
- **38.** No proceeding to be invalid due to vacancy or any defect.- No proceeding of the Board shall be invalid by reasons of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Board.
- **39. District level Committee.-**(1) The District Level Committee on disability referred to in section 72 of the Act, shall consist of the following persons, namely:-

(i)	An officer of the civil services of the Union or of the Government of National Capital Territory of Delhi, not below the rank of a District Magistrate or Deputy Commissioner, as the case may be of the district	Ex-officio Chairperson;
(ii)	Chief District Medical Officer	Member;
(iii)	Psychiatrist of a District Hospital	Member;
(iv)	Public Prosecutor of the District	Member;
(v)	Asstt. Commissioner (Labour)	Member;
(vi)	One Representative from the local bodies, Department of Women and Child Development and Public Works Department of the Government of National Capital Territory of Delhi	Member;
(vii)	Representative of a Registered Organization having at least experience of working in the field of disability	Member;
(viii)	Person with disability as defined in clause(s) of section 2 of the Act	Member;
(ix)	Any other member as invited by the	
	Chairperson	Member;

- (x) District Social Welfare Officer, Department of Social Welfare, GNCTD......
  - Member Secretary
- (2) The District Level Committee for each District shall be constituted by an order issued by the Dy. Commissioner of the District and its tenure shall be for a period of three years from the date of its constitution.
- **40. Functions of the Committee.-** The District-Level Committee on disability shall perform the following functions, namely:-
  - (a) advise the District authorities on matters relating to rehabilitation and empowerment of persons with disabilities;
  - (b) monitor the implementation of the provisions of the Act and the rules;
  - (c) assist the District authorities in implementation of schemes and programmes of the Government for empowerment of persons with disabilities;
  - (d) look into the complaints relating to non- implementation of the provisions of the Act by the District authorities and recommend suitable remedial measures to the concerned authority to redress such complaints;
  - (e) look into the appeal made by the employees of Government establishments aggrieved with the action taken by the District level establishments under sub-section (4) of section 23 of the Act and recommend appropriate measures; and
  - (f) any other functions as may be assigned by the Government of NCT of Delhi.

### **CHAPTER XI**

## STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

- **41. Qualification for appointment of State Commissioner.**—A person shall not be qualified to be appointed as a State Commissioner for Persons with Disability under sub-section (1) of section 79 of the Act unless the person:
  - (i) has special knowledge or practical experience in respect of the matters relating to rehabilitation of persons with disabilities;
  - (ii) has not attained the age of sixty years on the 1st January of the year in which the last date for receipt of applications, as specified in the advertisement inviting applications for appointment of the State Commissioner, occurs;
  - (iii) if in service under the Central Government or a State Government, shall seek retirement from such service before being appointed to the post; and
  - (iv) possesses the following educational qualifications and experience, namely:-
  - (a) Educational qualifications:-
    - (i) Essential: Graduate from a recognized university;
    - (ii) desirable: recognized degree or diploma in social work or law or management or human rights or rehabilitation or education of disabled persons.
  - (b) Experience: at least twenty years experience in a Group 'A' level or equivalent post:-
    - (i) in Central or State Government or
    - (ii) Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous Bodies dealing with disability related matters or social sector or
    - (iii) works in the capacity of a senior level functionary in a registered State or national or international level voluntary organization working in the field of disability or social development:
      - Provided that out of the total twenty years experience mentioned in this sub-clause, at least ten years of experience in the recent past had been in the field of empowerment of persons with disabilities.
- **42. Mode of appointment of the State Commissioner.-** (1) At least six months before the post of State Commissioner is due to fall vacant, an advertisement shall be published in at least two national or state level daily newspapers, one

- in English and the other in the vernacular language inviting applications for the post from eligible candidates fulfilling the criteria mentioned in rule 41.
- (2) A Search-cum-Selection Committee shall be constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi to recommend to it a panel of three suitable candidates for the post of the State Commissioner.
- (3) Composition of the Search-cum-Selection Committee.- The Search cum Selection committee shall be headed by the Chief Secretary and shall consist of Principal Secretary/ Secretary Social Welfare, Principal Secretary/ Secretary Health & Family Welfare, Divisional Commissioner and Principal Secretary / Secretary, Education.
- (4) The panel recommended by the Search-cum-Selection Committee under sub-rule (2) may consist of persons from amongst those who have applied in response to the advertisement made under sub-rule (1) as well as from other willing eligible persons in the employment of Central or State Government whom the Committee may consider suitable.
- (5) The Government of National Capital Territory of Delhi shall appoint one of the candidates out of the panel recommended by the Search-cum-Selection Committee under sub-rule (2) as the State Commissioner.
- **43. Term of the State Commissioner.-** (1) The State Commissioner shall be appointed on full-time basis for a period of three years from the date of assumption of office, or till the attainment of the age of sixty-five years, whichever is earlier.
  - (2) A person may serve as State Commissioner for a maximum of two terms, subject to the upper age limit of sixty-five years.
- **44. Salary and allowances of the State Commissioner.-** (1) The salary and allowances of the State Commissioner shall be the salary and allowances as admissible to a Secretary to the Government of National Capital Territory of Delhi.
  - (2) Where a State Commissioner, being a retired government servant or a retired employee of any institution or autonomous body funded by the Central or State Government, is in receipt of pension in respect of such previous service, the salary admissible to the State Commissioner under these rules shall be reduced by the amount of the pension, and if in lieu of a portion of the pension, the commuted value thereof has been received, by the amount of such commuted portion of the pension.
- **45. Other terms and conditions of service of the State Commissioner.-** The other terms and conditions of service of state Commissioner shall be such as specified below, namely:
  - (a) Leave: The State Commissioner shall be entitled to such leave as is admissible to Group A officer under the relevant provisions of the State Civil Service Rules applicable on them.
  - (b) Leave Travel Concession: The State Commissioner shall be entitled to such Leave Travel Concession as is admissible to Group 'A' officers under relevant provisions of the State Civil Service Rules applicable on them.
  - (c) Medical Benefits: The State Commissioner shall be entitled to such medical benefits as is admissible to Group 'A' officers under the relevant provisions of the State Civil Service Rules applicable on them.
- **46. Resignation and removal.-** (1) The State Commissioner may resign from the post by giving a notice in writing, addressed to the Government of National Capital Territory of Delhi .
  - (2) The Government of National Capital Territory of Delhi shall remove the person appointed to the office of the State Commissioner, if the person:-
    - (a) becomes an undischarged insolvent; or
    - (b) engages during the term in office in any paid employment or activity outside the duties of the office; or
    - (c) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government of National Capital Territory of Delhi involves moral turpitude; or
    - (d) is in the opinion of the Government of National Capital Territory of Delhi, unfit to continue in office by reason of serious default in the performance of functions of the State Commissioner as laid down in the Act; or
    - (e) without obtaining leave of absence from the Government of National Capital Territory of Delhi remains absent from duty for a consecutive period of fifteen days or more; or
    - (f) has, in the opinion of the Government of National Capital Territory of Delhi so abused the position of the State Commissioner as to render continuance in the office detrimental to the interest of persons with disability: Provided that no State Commissioner shall be removed from office under this rule

except after following the procedure, mutatis mutandis, applicable for removal of a Group 'A' officer of the Government of National Capital Territory of Delhi.

- (3) The Government of National Capital Territory of Delhi may suspend a State Commissioner, in respect of whom proceedings for removal have been commenced in accordance with sub-rule (2), pending conclusion of such proceedings.
- **47. Residuary provision.-** The other conditions of service of the State Commissioner, in respect of which no express provision has been made in these rules, shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to the Secretary to the Government of National Capital Territory of Delhi.
- **48.** Advisory Committee to assist the State Commissioner.- (1) The Government of National Capital Territory of Delhi shall appoint an Advisory Committee comprising five experts to represent each of the five groups of specified disabilities mentioned in the Schedule to the Act, of whom two shall be women
  - (2) The State Commissioner may invite subject or domain expert as per the need who shall assist the State Commissioner in meeting or hearing and in preparation of the report.
  - (3) The tenure of the members of the Advisory Committee shall be for a period of three years and the members shall not be eligible for re-nomination.
  - (4) The non-official members of the Advisory Committee shall be paid an allowance of rupees two thousand per day for each day of the actual meeting.
- **49. Procedure to be followed by State Commissioner.-** (1) A complainant may present a complaint containing the following particulars in person or through an agent to the State Commissioner or send it by registered post or by email addressed to the State Commissioner, namely:-
  - (a) the name, description and the address of the complainant;
  - (b) the name, description and the address of the opposite party or parties, as the case may be, so far as they may be ascertained;
  - (c) the facts relating to complaint and when and where it arose;
  - (d) documents in support of the allegations contained in the complaint; and
  - (e) the relief which the complainant claims.
  - (2) The State Commissioner on receipt of a complaint shall refer a copy of the complaint to the opposite party or parties mentioned in the complaint directing to submit their version of the case within a period of thirty days or such extended period not exceeding fifteen days as may be granted by the State Commissioner.
  - (3) On the date of hearing or any other date to which hearing could be adjourned, the parties or their agents shall appear before the State Commissioner.
  - (4) Where the complainant or the complainant's agent fails to appear before the State Commissioner on such days, the State Commissioner may either dismiss the complaint on default or decide on merits.
  - (5) Where the opposite party or the opposite party's agent fails to appear on the date of hearing, the State Commissioner may take such necessary action under section 82 of the Act as he deems fit for summoning and enforcing the attendance of the opposite party.
- (6) The State Commissioner may dispose of the complaint ex-parte, if necessary.
- (7) The State Commissioner may on such terms as deemed fit and at any stage of the proceedings, adjourn the hearing of the complaint.
- (8) The State Commissioner shall decide the complaint as far as possible within a period of three months from the date of receipt of notice by the opposite party.
- **50. Submission of annual reports.-** (1) The State Commissioner shall as soon as may be possible after the end of the financial year, but not later than the 30th day of September in the next year ensuing, prepare and submit to the Government of National Capital Territory of Delhi, an annual report giving a complete account of activities of the office of the State Commissioner during the said financial year.
  - (2) In particular, the annual report referred to in sub-rule (1) shall be in the form so that the details of separate matters be provided under separate heads inter-alia containing therein information in respect of each of the following matters, namely:-
  - (a) names of officers and employees in the office of the State Commissioner and a chart showing the organizational set up;

- (b) the functions which the State Commissioner has been empowered with under the Act and the highlights of the performance in this regard;
- (c) the main recommendations made by the State Commissioner;
- (d) progress made in the implementation of the Act in the Government of National Capital Territory of Delhi; and
- (e) any other matter deemed appropriate for inclusion by the State Commissioner or specified by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time to be included in the report.

## **CHAPTER XII**

### PUBLIC PROSECUTOR

- 51. Appointment of Public Prosecutor. (1) The Public Prosecutor to be appointed in every Special Court shall have,-
  - (a) practical experience of handling cases preferably of persons with disabilities;
  - (b) experience at the Bar of not less than seven years; and
  - (c) shall be well versed with local language and customs.
  - (2) The fee and other remunerations of the Special Public Prosecutor specified or appointed under sub- section (1) of section 85 of the Act shall be the same as that of Public Prosecutor appointed by the Government of National Capital Territory of Delhi under the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974) for conducting the cases before a court of session.

## **CHAPTER XIII**

## STATE FUND FOR PERSONS WITH DISABILITIES

- **52. State Fund for Persons with Disabilities and its management.-** (1) There shall be credited to the State Fund for persons with disabilities hereinafter referred to as 'the State Fund',-
  - (a) all sums received by way of grant, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers;
  - (b) all sums received from the Government of National Capital Territory of Delhi including grants- in-aid;
  - (c) all sums received from Corporate houses/ PSUs under CSR or from such other sources as may be decided by the Government of National Capital Territory of Delhi.
  - (2) There shall be a governing body consisting of following members to manage the State Fund, namely:-
    - (a) Principal Secretary or Secretary, Department of Social Welfare Chairperson;
    - (b) One representative from the Department of Finance
    - (c) One representative from the Department of Planning
    - (d) One representative of the Department of Health and Family Welfare, Department of Education, Department of Labour and Employment, Department of Rural Development, Department of Urban Development, Department of Training and Technical Education, not below the rank of a Joint Secretary, by rotation in alphabetical order —Members;
    - (e) two persons representing different types of disabilities to be nominated by the Government of National Capital Territory of Delhi, by rotation Members;
    - (f) Director in the Department of Social Welfare Convener and Chief Executive Officer.
- (3) The governing body shall meet as often as necessary, but at least once in every financial year.
- (4) The nominated members shall hold office for not more than three years.
- (5) No member of the governing body shall be a beneficiary of the Fund during the period such Member holds office.
- (6) The nominated non-official members shall be eligible for payment of travelling allowance and dearness allowance as admissible to a Group A officer of the Government of National Capital Territory of Delhi for attending the meetings of the governing body.

- (7) No person shall be nominated under clause (b) and (c) of sub-rule 2 as a member of the governing body who-
  - (a) is, or has been, convicted of an offence, which in the opinion of the Government of National Capital Territory of Delhi involves moral turpitude; or
  - (b) is, or at any time has been, adjudicated as an insolvent.
- **53.** Utilization of the State Fund.- (1) The State Fund shall be utilized for the following purposes, namely:-
  - (a) financial assistance in the areas which are not specifically covered under any scheme and programme of the Government of National Capital Territory of Delhi;
  - (b) administrative and other expenses of the Fund, as may be required to be incurred by or under the Act; and
  - (c) such other purposes as may be decided by the governing body.
  - (2) Every proposal of expenditure shall be placed before the governing body for its approval.
  - (3) The governing body may appoint secretarial staff including accountants with such terms and conditions as it may think appropriate to look after the management and utilization of the State Fund based on need based requirement.
  - (4) The State Fund shall be invested in such manner as may be decided by the governing body.
- **54. Budget.-** The Chief Executive Officer of the State Fund shall prepare the budget for incurring expenditure under the State Fund in each financial year showing the estimated receipt and expenditure of the Fund, in January every year and shall place the same for consideration of the governing body.
- **55. Annual Report.-** The annual report prepared by the State Commissioner for persons with Disabilities shall include a chapter on the State Fund.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi,

Dr. A. MADHAVI, Sr. Superintendent

(Persons with Disabilities Welfare Branch)

FORM-A

## **Application for Certificate of Registration**

[See rule 22(1) of Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018]

(1)	Name of the Organization :		
(2)	Institution/ Project in respect of which application is made :		
	a. Address & Ph. No. (Registered Office ):		
	b. Name of Project Office :_		
	c. Address (Project Office) :		
	d. Phone /Fax/Telex/(Office)/email id :(Project)		

(3) (i	) Name	of the	Act under whi	ich the	organiza	ation is re	gistered:			
(i			No. and date of r	registrati	on:				<del></del>	
(4) N	Memoran	dum of	Association and	Bye-law	s of the	organization	(Please attach a	photocop	oy)	
	Name, ac Body of th		_	_		rs of the m	embers of the	Board of	Managemen	nt/Governing
(6) P	resent Ac	ctivities	of the Organizat	ion:						
(7). L	ist of do	cuments	to be attached:							
(a	) A copy	of the	annual reports fo	r the last	three ye	ears,				
(b							come and expen- ountant with men			neet) for the
(8) Na	ture of th	e organi	sation (Please in	dicate p	recisely		:			
wł	nether it i	s educat	ional or training	or reside	ential in	stitution or a	workshop			
fo	or visuall	y/ hearir	ng impaired/phys	sically ch	allenge	d /mentally C	Challenged person	ns, etc.)		
(9) Wh	ether the	institut	ion is located in	n its ow	n buildii	ng/Rented b	uilding/ building	g allotted	by any agenc	y):
(Necess	sary evide	ence to b	e attached).							
(10) If	hostel is	maintair	ned, then number	of hoste	ellers :					
(11) De	etails of b	arrier fr	ee environment f	for perso	ns with	disabilities	:			
(a)	) Area o	of the Bu	uilding							
(b)	) Room	s availa	ble for activities/	/resident	ial use _		<del></del>			
( c	e) Room	s for adı	ministrative use:							
(d)	No. of	accessi	ble toilets							
(e)							ling):			
(f) If y			ssibie transport i							
(12)Det	tails of sta	aff empl	oyed by the insti	itution in	followi	ing format;				
Vame	M/F	Age	Educational Qualification	Addı	ress	Contact Details	Responsibility	Salary	Aadhaar No.	RCI registration no. (enclosed copy of RCI registration certificate)
	through t etails of c	he polic	e is mandatory.				minal record from			
Sl.No.	Name	Fat	her's name	M/F	Age	Address	Contact Detail		rpe of sability	Aadhaar No.
<u> </u>	_1			1	1	1	1			1

(Name, Designation and signature of the authorized signatory with seal )

Form-B

# Government of National Capital Territory of Delhi

# Department of Social Welfare,

# Government Lady Noyce School Complex, Delhi Gate,

# New Delhi-110002

## **Certificate of Registration**

[Issued under the provision of rule 22(8)(a) of Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018]

Reg	ristration No		Date:	
Cer Reg	tified hereby that	rmalities and proced	lures for issuance of	
This	s registration certificate issued on date	is valid till o	late	·
1.	Name and registered address of the organization:			
2.	Name and address of the branch/projects of the organi	zation:		
3.	Full Name and Address of the Authorized representati	ive of the Organizati	on :	
	This registration certificate is issued on Day signatory /competent authority of the Department of Delhi subject to compliance of the Terms and Conditorganization.	Social Welfare, Go	vernment of Natio	onal Capital Territory of
	The holder of the certificate of Registration shall app the date of expiry of the period of validity.	ply for renewal of th	e certificate not les	ss than sixty days before
	Department of			e Competent Authority ional Capital Territory
	Terms and Conditions	of Registration Ce	<u>rtificate</u>	
(1)	The holder of this Certificate of Registration shall	l provide the benefic	iaries of the organi	zation with :-
	(a) Adequate accessible accommodation and acc	essible sanitary cond	litions.	
	(b) Proper medical care and treatment.			
	(c) Facilities for recreation.			

(d) Education and vocational or professional training.

Residential premises, if any, for girls shall be separate from residential premises for boys.

(2)

- (3) The holder of this Certificate of Registration shall not employ or shall allow others to employ any beneficiary of the organization for any private purposes whether of own or others.
- (4) The incharge/Project Manager shall maintain a visitor's book, which shall contain the records of visit to the organization by the competent authority or any person authorized by it to inspect the organization. The incharge/Project Manager shall furnish to the competent authority a copy of remarks if any recorded in the said book within seven days from the date of visit, as also compliance report if any.
- (5) The holder of this Certificate of Registration shall facilitate inquiry in accordance with provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 by the Competent Authority or any person authorized by it.
- (6) The certificate shall be exhibited in a conspicuous place in the office of the incharge/Project Manager.
- (7) Any change in the office bearers shall be immediately intimated to the Competent Authority and the concerned District Social Welfare Officer.
- (8) The holder of this Certificate of Registration shall ensure the safety and security of the beneficiaries against all forms of abuse, violence and exploitation as per Section 6 & 7 of the Rights of Persons with Disabilities Act' 2016.
- (9) The holder of this certificate should ensure that in case of foreign volunteers, verification of credentials and criminal record from country of origin or birth through the police has been conducted and verified before giving permission for visit/stay in the institution/homes.
- (10) The holder of this Certificate of Registration shall ensure adequate safety measures. against man made /natural disasters such as fire, earthquake, flood etc.
- (11) The holder of this Certificate of Registration shall abide by the conditions of this Certificate of Registration and the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act' 2016 and the rules/regulations and orders made there under.

Form-C

# Government of National Capital Territory of Delhi Department of Social Welfare, Government Lady Noyce School Complex, Delhi Gate, New Delhi-110002

## Refusal to grant Certificate of Registration

[Issued under the provision of rule 22(8)(b) of the Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018]

Date:	
Whereas Sh(Authorised representative) of the organization-(Name and registered address of organization)	of ects
1.	
2.	
3.	
paraby refuses to grant such cartificate of registration under sub-rule (8) of rule 22 of the Delhi Dights of Parabas w	ith

hereby refuses to grant such certificate of registration under sub rule (8) of rule 22 of the Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules 2018 and directs that a fresh application be submitted through authorized representative of the organization after removal of the said deficiencies.

Form-D

## Government of National Capital Territory of Delhi

## Department of Social Welfare,

# Government Lady Noyce School Complex, Delhi Gate,

## New Delhi-110002

## **Revocation of Certificate of Registration**

[Issued under the provision of Rule 22(8)(c) of the Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018]

Date:

Whereas Sh(Authorized representative ) of the organization (Name and registered address of
the organization) had applied for issuance of / renewal of registration certificate under sub
section (2) of section 51 of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 for the project (Name and address of the
branch/projects of the organization ), and whereas the competent authority, had issued th
certificate of Registration under the relevant provisions of the Act and Rules on date and whereas now, the
competent authority has reason to believe that the holder of the certificate of Registration had-
a) made a statement in relation to the application for the issue / renewal of the registration certificate under su

- a) made a statement in relation to the application for the issue / renewal of the registration certificate under sub section(1) of Section 51 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, which is incorrect or false in material particulars: or
- b) committed or has caused to be committed breach of rules or Terms and conditions subject to which the certificate was granted.

Now therefore revokes the certificate of Registration granted to the organization under the provision of sub rule(8) of rule 22 of the Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules 2018.

Signature and Seal of the Competent Authority Department of Social Welfare, Government of National Capital Territory

## FORM-I

(Persons with Disabilities Employer's Return)

[See Rule 17 (1) of Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018 and Rule 13(1) of Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017]

Six monthly return to be submitted to the Special Employment Exchange	for the half
year ended	
Name and Address of the Employer.	
Whether - Head Office	
Branch Office	
Nature of business/principal activity:	
1. Employment	

(a) Total number of persons including working proprietors/ partners/ commission agents/contingent paid and contractual workers, on the pay rolls of the Government establishment excluding part-time workers and apprentices. (The figures should include every person whose wage or salary is paid by the Government establishment).

On the last working day of the previous half year							
Blindness	Deaf	Locomotor disability	Autism,	Multiple			
and	and	including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism,	intellectual disability, specific	disabilities from amongst persons			
low vision	hard of hearing	acid attack victims and muscular dystrophy	learning disability and mental illness	with disabilities under columns (1) to (4) including deaf-blindness			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			

On the last working day of the half year under report						
Blindness	Deaf	Locomotive disability	Autism,	Multiple		
and	and	including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism,	intellectual disability, specific	disabilities from amongst persons		
low vision	hard of hearing	acid attack victims and muscular dystrophy	learning disability and mental illness	with disabilities under columns (1) to (4) including deaf-blindness		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		

Men with disability	
Women with disability	
Total	

- (b) Please indicate the main reasons for any increase or decrease in employment if the increase or decrease is more than 5% during the half year.
- 2. Vacancies.- Vacancies carrying total emoluments as per prevailing minimum wage per month and of over six months duration.
- (a) Number of vacancies occurred and notified during the half year and the number filled during the half year (Separate figures may be given for men with disability and women with disability).

Number of vacancies which come within the purview of the Act

Occurred Notified Filled Source

(Describe the source from which filled)

Local/Special Employment Exchange General Employment Exchange

- (b) Reasons for not notifying all vacancies occurred during the half year under report vide 2(a) ......
- 3. Manpower Shortages

Vacancies/posts unfilled because of shortage of suitable applicants.

Name of the occupation
Or Designation
Or Designatio

1 2 3 4

[PART IV	DELHI GAZE	ETTE: EXTRAORDINARY		
Please list any othe suitable applicants.	r occupations for which this	Government establishment	had recent	ly any difficulty in obtaining
				Signature of employer
Dated				
То				
The Emp	loyment Exchange			
_				
	relates to half yearly ending Exchange within thirty days at			be rendered to the local Special
		Form -II		
	(Persons with	Disabilities Employer's Re	turn)	
[See rule 17 (1	) of Delhi Rights of Persons w	ith Disabilities rules, 2018 a Disabilities rules, 2017]	nd rule 13(	1) of Rights of Persons with
Occupational return	to be submitted to the local Spe	ecial Employment Exchange	once in tw	o years.
Name and Address o	of the Employer			
Nature of business_				
(describe what the C	Government establishment mak	es or does as its principal ac	tivity)	
1. Total numb	er of persons on the pay rolls o	of the Government establishment	nent on	
establishme	te)(This figure shoul nt)(Separate figures for men w al classification of all employe	ith disability and women wi	th disability	salary is paid by the Government may be given).
(please give	below the number of employe	ees in each occupation sepa	rately)	
Occupation	Number	of Employees		
Use exact terms	Men with disability	Women with disability	Total	
Such as Engineer (Mechanical);				Please give as far as possible
Teacher (domestic/science); Officer on duty (actuary);				approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill during
Assistant Director (Metallurgist);				the next calendar year due to
Scientific Assistant				retirement.

Scientific Assistant (chemist); Research Officer (economist); Instructor (carpenter); Supervisor(tailor);

Fitter(internal

Combustion engine);				
Inspector				
Sanitary); Superintendent	•			
Office; apprentice				
Electrician).				
Total				
Total				
Dated			Sio	gnature of employer
То			5.5	similar or omproyer
The Employment Ex	change			
	_	ecial Employment Exchange	)	
•	•	pond to the figure given again		
	_ 01.001.001.001.001.001.001.001.001.001.	pond to the right grien again		
		FORM-III		
	(Persons with	Disabilities Employer's Retu	rn)	
[See rule 18 of Delhi R	ights of Persons with Disa	abilities Rules, 2018 and Rule Rules, 2017]	e 14 of Rig	hts of Persons with Disabilities
Name and Address of th	e Employer			
Whether - Head Office	e			
Branch Off	fice			
Nature of business/princ	ipal activity:			
Total number of persons whose wage or salary is pa			This figure	should include every person
-		y-wise) on the payroll of the vage or salary is paid by the C		ent establishment (This figure t establishment).
(a) Occupational qua separately.	diffication of all employed	es (Please give below the nu	umber of e	employees in each occupation
Occupation	Number of	Employees		
Use exact terms	Men with disabilities	Women with disabilities	Total	
Such as Engineer (Mechanical);				Please give as far as possible
Teacher (domestic/science); Officer on duty (actuary);				approximate number of vacancies in each
Assistant Director (Metallurgist);				occupation you are likely to fill during the next calendar
Scientific Assistant (chemist); Research Officer (economist); Instructor (carpenter);				year due to retirement.

Total

- (b) Please indicate the main reasons for any increase or decrease in employment if the increase or decrease is more than 5% during the half year.....
- 2. Vacancies: Vacancies carrying total emoluments as per prevailing minimum wage per month and of over six months duration.
- (a) Number of vacancies occurred and notified during the half year and the number filled during the half year.

ccurred	Notified Local Special Employment Exchange	General employment	Filled	Sources (Describe the source form which filled	
1	2	3	4	5	

- (b) Reasons for not notifying all vacancies occurred during the half year under report *vide* (a) 2.....above.
- 3. Manpower shortages

Vacancies/posts unfilled because of shortage of suitable applicantions

Name of the occupation of	r Number	of unfiled vac	cancies/posts	
Designation of the posts	Essential qualification	Essential experience	Experience Not necessary	
1.		2.	3.	4.

Please list any other occupations for which this Government establishment had recently any difficulty in obtaining suitable applicants.

Signature of employer

Dated....

# FORM- IV

Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities

[See Rule 24(1) of Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018 and Rule 17(1) of Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017]

(1)	Name :		
	(Surname)	(First Name)	(Middle Name)
(2)	Father's Name :	Mother's Name:	
(3)	Date of Birth :	<i>J</i>	
	(Date)	(Month) (Year)	

(4)	Age at the time of application:	vears
(5)	Sex: Male/Female/Transgender:	
(6)	Address:	
	(a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for co	mmunication)
(7)	(c) Period since when residing at current address:	
(7)	Educational Status (please tick as applicable)  (i) Post Graduate (ii) Graduate (iii) Diploma (iv) Higher Secondary (v) High School (vi) Middle (vii) Primary (viii) Non-literate	
(8)	Occupation:	
(9)	Identification marks: (i)	(ii)
(10)	Nature of disability:	
(11)	Period since when disabled: From Birth/since year:	
(12)	(i) Did you ever apply for issue of a certificate of disal	oility in the past (yes/no)
	(ii) If yes, details:	
	(a) Authority to whom and district in which app	lied :
	(b) Result of application :	
(13)	Have you ever been issued a certificate of disability in	the past? If yes, please enclose a true copy.
materia	ation: I hereby declare that all particulars stated above and information has been concealed or misstated. I further state liable to forfeiture of any benefits derived and other action	e that if any inaccuracy is detected in the application, I
		(signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)
Date :		
Place:		
Enclosu	ires:	
	1. Proof of residence (Please tick any one, as applic	able).
	<ul><li>(a) Ration card,</li><li>(b) Voter identity card,</li><li>(c) Driving license,</li><li>(d) Bank passbook,</li><li>(e) PAN card,</li></ul>	

(f) Passport,

- (g) Telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
- (h) A certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school,
- (i) In case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.
- (j) Aadhaar number or Aadhaar enrollment number, if any.

2.	Two re	cent pas	sport si	ze photographs					
					(For office	e use only)			
Date:									
Place:						Signature	of issuing auth Stamp	ority	
					For	m-V			
					Certificate of	of Disability	<i>I</i>		
	(In case	es of am	putatio	n or complete per	manent para	alysis of lim	bs or dwarfism	and i	n case of blindness)
[Se	e Rule 20	6(1) of I	Delhi Ri			ties Rules, 2 Rules, 2017		8(1)	of Rights of Persons with
			(Nan	ne and Address of	the Medica	l Authority	issuing the Cert	tifica	te)
									Recent passport size attested photograph
									(Showing face only) of the person with disability.
Certific	ate No.						Date:	L	
	This	is Age		son/wife/daug		hri		Dat	amined Shri/Smt./Kum e of Birth (DD/MM/YY permanen
	of Hou	se No		Ward/Villa	ge/Street _		Post (	Offic	e Distric
				, whose ph	otograph is	affixed abo	ove, and am satis	sfied	that:
(A) he/s	she is a c								
•	locomo dwarfis blindne	sm	bility						
	(Please	tick as	applical	ole)					
(B) the	diagnosi	s in his/	her case	e is					
disabilit	ty/dwarfi	ism/blin	dness in	% (in figure) n relation to his/h to be specified).	 ner	(part of bo	_ percent (in ody) as per guid	wo deline	rds) permanent locomoto es (number and

2.	The applicant has	submitted the	following	document	as proof	of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details certificate	of	authority	issuing

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

## Form - VI

## Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

[See Rule 26(1) of Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018 and Rule 18(1) of Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph

(Showing face only) of the person with disability.

Certificate N	0.						Date:		
This	s is	to	certify		we fe/daughte		carefully	examined of	Shri/Smt./Kum Shr
Registration			1	rmanent	resident	of Hou	se No		years, male/female
above, and a				District		Sta	ite	, whose ph	notograph is affixed
	lines (		.number and	d date of	issue of	the guide		•	y has been evaluated e disabilities ticked

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			

7.	Low vision	#	
8.	Blindness	#	
9.	Deaf	£	
10.	Hard of Hearing	£	
11.	Speech and Language disability		
12.	Intellectual Disability		
13.	Specific Learning Disability		
14.	Autism Spectrum Disorder		
15.	Mental illness		
16.	Chronic Neurological Conditions		
17.	Multiple sclerosis		
18.	Parkinson's disease		
19.	Haemophilia		
20.	Thalassemia		
21.	Sickle Cell disease		

	20.	Thaiassemia							
	21.	Sickle Cell disease							
(D) In	the light of	the shows his/her ov	or all norm	anant physical imp	oirmant as r	er guidelines (number and date			
		delines to be specified			ininent as p	er guidennes (number and date			
	_	percent	,, 10 45 1011						
In wor	:ds :	·			percent				
2. This	s condition i	s progressive/non-pro	gressive/li	kely to improve/not	likely to im	prove.			
3. Rea	ssessment c	of disability is :							
		necessary,							
	or	1 1/ 6			1.1.				
	(11) 1s re	commended/after	yeai	rs months	s, and theref	ore this certificate shall be valid till			
	(DD) (MM) (YY)								
	@	e.g. Left/right/both ar	rms/legs						
		e.g. Single eye							
	£	e.g. Left/Right/both ea	ars						
		as submitted the follo			idence:-				
Nature	e of docume	nt	Date of is	ssue		Details of authority issuing certificate			
5.	Signature	e and seal of the Medie	cal Authori	ity.					
Name	and Seal of	Member	Name an	d Seal of Member		Name and Seal of the Chairperson			
			1						
Signat	ure/thumb i	mpression of the							
		avour certificate of							
disabil	disability is issued.								

Conditions

### Form – VII

## Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

(See Rule 26(1) of Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018 and Rule 18(1) of Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017)

Recent passport attested size photograph (Showing face only) of the person with disability Certificate No. Date: This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum son/wife/daughter Shri \_\_\_\_\_\_Date of Birth (DD/MM/YY)\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_\_ years, male/female \_\_\_\_\_\_ Registration No. \_\_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_ Ward/Village/Street \_\_\_ \_\_\_\_\_, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-S. No. Permanent physical impairment/mental Disability Affected part Diagnosis of body disability (in %) 1. Locomotor disability @ 2. Muscular Dystrophy 3. Leprosy cured 4. Cerebral Palsy 5. Acid attack Victim 6. Low vision # 7. Deaf € € Hard of Hearing 8. Speech and Language disability 10. Intellectual Disability 11. Specific Learning Disability 12. Autism Spectrum Disorder 13. Mental illness 14. Chronic Neurological

15.	Multiple sclerosis		
16.	Parkinson's disease		
17.	Haemophilia		
18.	Thalassemia		
19.	Sickle Cell disease		

(Please strike out the disabilities which	ch are not applicable)	
2. The above condition is progressive	e/non-progressive/likely to improve/no	t likely to improve.
3. Reassessment of disability is:		
(i) not necessary, or		
(ii) is recommended/after (DD/MM/YY)	years months, and	therefore this certificate shall be valid till
@ - eg. Left/Right/both arms/legs		
# - eg. Single eye/both eyes		
€ - eg. Left/Right/both ears		
4. The applicant has submitted the fo	llowing document as proof of residenc	e:-
Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)

(Name and Seal)

Countersigned
{Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
Certificate is issued by a medical authority who is
not a Government servant (with seal)}

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

**Note.-** In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

(Name and Seal)

## FORM - VIII

[Intimation of rejection of Application for Certificate of Disability]

[See Rule 26 (4) of Delhi Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018 and Rule 18(4) of Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017] No. \_ Dated: To, (Name and address of applicant for Certificate of Disability) Sub: Rejection of Application for Certificate of Disability Sir/ Madam, Please refer to your application dated\_\_\_\_\_ for issue of a Certificate of Disability for the following disability: Pursuant to the above application, you have been examined by the undersigned/ Medical Authority on\_ , and I regret to inform that, for the reasons mentioned below, it is not possible to issue a Certificate of Disability in your (i) (ii) (iii) 3. In case you are aggrieved by the rejection of your application, you may represent to\_\_\_\_\_ requesting for review of this decision. Yours faithfully, (Authorized Signatory of the notified Medical Authority)